ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

परिवीक्षाधीन अधिकरियों की भर्ती

(यह विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक को ईसीजीसी की वेबसाइट पर www.ecgc.in पर देखा जा सकता है।)

ईसीजीसी लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका उद्देश्य निर्यात के लिए ऋण जोखिम बीमा एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करके देश से निर्यात को बढ़ावा देना है।

ईसीजीसी लिमिटेड के द्वारा ₹ 88635-4385(14)-150025-4750(4)-169025 के वेतनमान पर कार्यपालक अधिकारी (सामान्य एवं विशेषज्ञ) संवर्ग में परिवीक्षाधीन अधिकारी ऑफिसर के पद हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अधिकारी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता/मकान पट्टा प्रतिपूर्ति, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, समाचार पत्र भत्ता, भोजन कूपन, मोबाइल बिल प्रतिपूर्ति, मोबाइल हैंडसेट एवं ब्रीफ़केस भत्ता, फ़र्नीचर भत्ता, घरेलू सहायता भत्ता आदि जैसे भत्तों एवं परिलाभों के भी पात्र हैं। मुंबई में तैनात कार्यपालक अधिकारी (परिवीक्षाधींन अधिकारी) की वर्तमान CTC (कंपनी पर लागत) लगभग ₹20,00,000/- (₹ बीस लाख) प्रति वर्ष है।

ईसीजीसी लि. में नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आवेदकों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी अनैतिक तत्वों का शिकार न बनें, जो उम्मीदवारों/सार्वजनिक को ECGC में नौकरी सुनिश्चित करने के झूठे वादे देकर धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव/प्रथा मिलती है, तो इसे तुरंत ईसीजीसी लि. के ध्यान में recruitment@ecgc.in पर लाया जाए सभी विवरणों के साथ, जैसे कि ऐसे तत्वों का नाम और संपर्क विवरण जो इस प्रकार की प्रथा में लिप्त हैं।

परिवीक्षाधीन अधिकारी के पद हेतु कार्मिकों के चयन हेतु ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 11.01.2026 (अनुमानित) को निर्धारित है। कोई भी पात्र उम्मीदवार, जो ईसीजीसी लिमिटेड में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शामिल होना चाहता है, उनके द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा शामिल है, जिसके पश्चात ऑनलाइन परीक्षा में निष्पादन के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

ऑनलाइन परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए दिल्ली एवं मुंबई में आमंत्रित किया जाएगा एवं इसकी जानकारी बाद में चयनित उम्मीदवारों को दी जाएगी। यह भर्ती आरक्षण नीति पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी।

क. **अनुसूची :** नियुक्ति प्रक्रिया के महत्वपूर्ण गतिविधि की अनुसूची निम्नानुसार है :

गतिविधि	अनुमानित तारीखें
विस्तृत विज्ञापन का प्रकाशन	दिनांक 10.11.2025
उम्मीदवारों द्वारा आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार (ऑनलाइन) की अदायगी	दिनांक 11.11.2025 से 02.12.2025
उम्मीदवारों द्वारा आवेदन का संपादन/संशोधन संपादन विंडो के लिए भुगतान के साथ	दिनांक 06.12.2025 से 07.12.2025
परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण के लिए कॉल लेटर / ई-मेल / एस एम एस डाउनलोड किया जाना	दिनांक 15.12.2025 के बाद से
एस सी / एस टी / ओ बी सी (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	दिनांक 15.12.2025 के बाद से
ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करना	जनवरी 2026 के पहले सप्ताह से
ऑनलाइन लिखित परीक्षा	11.01.2026 (02:00 p.m. to 05.00 p.m.)
ऑनलाइन लिखित परीक्षा परिणामों की घोषणा	दिनांक 31.01.2026 के बाद से
साक्षात्कार	फरवरी/मार्च, 2026

अपने विवेक के अनुसार उपरोक्त अनुसूची को पूर्णतः संशोधित किए जाने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ईसीजीसी की वेबसाइट www.ecgc.in पर नियमित रूप से विवरण एवं अपडेट देखें। वेबसाइट पर प्रकाशित कोई भी जानकारी अधिसूचित मानी जाएगी।

रिक्तियों की कुल संख्या*: 30 (सामान्य में 28 एवं विशेषज्ञ में 2) अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में आरक्षण के साथ निम्नानुसार होगी:

रिक्तियों के प्रकार	एस सी	एसटी	ओ बी सी	ई डब्ल्यू एस	अनारक्षित	कुल
बैक लॉग रिक्तियाँ	00	00	00	00	00	00
दिनांक 31.03.2026 तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों* में कंपनी की आवश्यकता के आधार पर आंशिक परिवर्तन होने की संभावना है	05	0	10	03	12	30
कुल	05	00	10	03	12	30

बेंचमार्क सहित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु रिक्तियाँ(पी डब्ल्यू बी डी): पी डब्ल्यू बी डी उम्मीदवार किसी भी श्रेणी (अर्थात यू आर / एस सी / एस टी / ओ बी सी / ई डब्ल्यू एस) से संबंधित हो सकते हैं एवं वे लागू आयु छूट के लिए पात्र होंगे। पी डब्ल्यू बी डी के लिए आरक्षण समस्तरीय है एवं पद के लिए समग्र रिक्तियों के भीतर है।

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)

शारीरिक रूप से दिव्यांग (शा दि)	नेत्रहीन दिव्यांग (ने ही)	श्रवनहीन दिव्यांग (श्र ही)	चतुर्थ श्रेणी**	कुल
01	00	00	00	01

** उपरोक्त (क) से (घ) तक में से ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता (एस एल डी), मानसिक बीमारी एवं एकाधिक दिव्यांगता (एम डी)।

***रिक्तियों की संख्या अनुमानित हैं एवं ईसीजीसी लि. के विवेकाधिकार से उक्त संख्या परिवर्तित हो सकती हैं।**

भर्ती किए गए अधिकारियों को भारत में किसी भी स्थान, जहां ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यालय हैं, पर तैनात एवं स्थानांतरित किया जा सकता है ।

ग.**पात्रता मानदंड**

भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे इस विज्ञापन में कंपनी द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं:

कृपया नोट करें कि इसमें विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पद हेतु आवेदन के लिए न्यूनतम मानदंड हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय तथा आवश्यकतानुसार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाई गई अपनी पहचान एवं पात्रता के समर्थन में श्रेणी, राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता आदि से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों की मूल प्रति तथा एक फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी। कृपया नोट करें कि आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन **मान्य नहीं** है, तथा प्रक्रिया के समय इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अधीन ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई श्रेणी के आधार पर ही विचार किया जाएगा। केवल भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जाना / ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना एवं / अथवा उसके पश्चात साक्षात्कार एवं / अथवा उसके बाद की प्रक्रियाओं में चयनित होना यह नहीं दर्शाता है कि उम्मीदवार को कंपनी में आवश्यक रूप से रोजगार प्राप्त हो गया हैं। आवेदन में उल्लिखित के अलावा किसी अन्य श्रेणी में उम्मीदवारी को स्वीकार करने के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

I. राष्ट्रियता / नागरिकता: उम्मीदवार को या तो –

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा

(ii) नेपाल का नागरिक होना चाहिए अथवा

(iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए अथवा

(iv) तिब्बत का शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने हेतु दिनांक 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आया हो, अथवा

(v) भारतीय मूल का निवासी जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, दी यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्व में तनांकिया तथा ज़ांज़ियार), ज़ाम्बिया, मलावी, जैरे, इथोपिया तथा वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से आ गए हों बशर्ते कि उम्मीदवार उक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) व (v) के हों तथा भारत सरकार द्वारा उनको पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

II. आयु (01.11.2025 तक)
न्यूनतम:- 21 वर्ष, अधिकतम:– 30 वर्ष

यथा किसी भी उम्मीदवार का जन्म दिनांक 02.11.1995 के पूर्व एवं दिनांक 01.11.2004 (दोनों ही तारीखें शामिल) के पश्चात न हुआ हो।

<u>ऊपरी आयु सीमा में छूट</u>

क्र सं	**श्रेणी**	**आयु में छूट (वर्ष)**
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी स्तर)	3 वर्ष
3	"दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016" के अधीन परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति	10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी (ई सी ओ) / अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (एस एस सी ओ) सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा प्रदान की गई है एवं जिन्हें सेवा पूर्ण होने पर कार्यमुक्त किया गया है (जिनमें वे भी शामिल हैं जिनकी सेवा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्व होने वाली है) सिवाय उनके, जिन्हें अनाचरण अथवा अक्षमता अथवा शारीरिक दिव्यांगता के कारण सेना में कार्य करने के योग्य नहीं होने पर निष्काषित किया गया हो।	5 वर्ष

नोट :

(i) जहां रिक्तियां ओ बी सी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, वहां पी डब्ल्यू बी डी (ओ बी सी) के लिए 13 वर्ष की छूट अनुमत है। जहां रिक्तियां एस सी / एस टी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, वहां पी डब्ल्यू बी डी (एस सी / एस टी) उम्मीदवारों के लिए 15 (पंद्रह) वर्ष के छूट की अनुमति है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट शेष श्रेणियों में से केवल एक के साथ संचयी आधार पर अनुमत है, जिसके लिए आयु में छूट उपरोक्त बिन्दु II (3) से II (4) में उल्लिखित आयु में छूट की अनुमति है।

(ii) विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों पर लागू होगी।

(iii) आयु में छूट प्राप्त किए जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय तथा ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप में फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्रों का निर्धारित प्रारूप अधिसूचना के साथ संलग्न है। हालाँकि, समय-समय पर सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है।

(iv) ओ बी सी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होने चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है, जो भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों एवं सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के अनुलाभ से अपवर्जित है। ओ बी सी श्रेणी से संबंधित परंतु क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओ बी सी आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी सामान्य श्रेणी बतानी होगी। उम्मीदवार के पास समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड सहित वैध ओ बी सी प्रमाणपत्र उपलब्ध होना चाहिए।

(v) यदि किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो उनके द्वारा किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए एक भूतपूर्व सैनिक, जैसे ही वह किसी भी नागरिक रोजगार में शामिल हो जाता/जाती है, को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के बारे में विवरण संबंधित नियोक्ता को स्वघोषणा / वचन देना चाहिए, जिसके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अलावा यह लाभ केवल रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरे जाते हैं एवं जब भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। अधिकारी कैडर में भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

III. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ (दिनांक 01.11.2025 तक):

क) **परिवीक्षाधीन अधिकारियों (सामान्य) के लिए**

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में एक डिग्री (स्नातक) अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समतुल्य योग्यता। उम्मीदवार के पास उनके द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के समय भारत सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त वैध अंक पत्र तथा डिग्री प्रमाणपत्र होने चाहिए तथा संगत डिग्री / प्रमाणपत्र में अंकों का प्रतिशत उल्लिखित हो।

ख) **परिवीक्षाधीन अधिकारियों (विशेषज्ञों) के लिए**

क्र सं	विषय	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	पदों की संभावित संख्या
1	राजभाषा/हिंदी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी को मुख्य/वैकल्पिक/प्रमुख विषय के रूप में रखते हुए हिंदी/हिंदी अनुवाद में स्नातकोत्तर डिग्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 55%	2

		और अन्य के लिए 60% अंकों के साथ।; अथवा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें हिंदी कोर/वैकल्पिक/प्रमुख विषय के रूप में हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 55% और अन्य के लिए 60% अंक हों। अथवा (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी को मुख्य/वैकल्पिक/प्रमुख विषय के रूप में रखते हुए किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 55% और अन्य के लिए 60% अंक हों। अथवा (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और हिंदी/हिंदी अनुवाद दोनों में स्नातकोत्तर डिग्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 55% और अन्य के लिए 60%।	

नोट :(i) उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ भारत सरकार / भारत सरकार की विनियामक इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड से प्राप्त हों तथा परिणाम दिनांक 01.11.2025 तक अथवा उसके पूर्व घोषित किए गए हों।

साक्षात्कार के समय बोर्ड / विश्वविद्यालय से यह प्रमाणित करते हुए कि परिणाम दिनांक 01.11.2025 तक अथवा उसके पूर्व घोषित किए गए हैं, उचित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएँ। पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण करने की तारीख विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र पर उल्लिखित दिनांक होगी। विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा वेब साइट पर यदि किसी परीक्षा विशेष का परिणाम घोषित किया जाता है तथा वेब आधारित प्रमाणपत्र जारी किया जाता है तो विश्वविद्यालय / संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी **मूल** दस्तावेज़ / प्रमाण पत्रों के आधार पर सत्यापन तथा आगामी प्रक्रिया के दौरान विचार किया जा सकता है।

(ii) अपने ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा निकटतम दो दशमलव अंकों तक गणना करते हुए आवश्यक शैक्षणिक / व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत को दर्शाया जाना चाहिए। जहां सी जी पी ए (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत) / ओ जी पी ए (समग्र ग्रेड प्वाइंट औसत) प्रदान किया गया है, तो उसे विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित करते हुए ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए। यदि साक्षात्कार /दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उम्मीदवार को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य तथ्यों के साथ-साथ यह भी उल्लेखित होने चाहिए कि ग्रेड को प्रतिशत में परिवर्तित किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के मानदंड तथा मानदंडों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत पूर्ण किया गया है।

(iii) **प्रतिशत की गणना :** उम्मीदवार द्वारा सभी सेमेस्टर / वर्ष में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को कुल अधिकतम अंकों (ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना सभी विषयों में) से विभाजित करके 100 से गुणा करके प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाएंगे। ये केवल उन विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जहां श्रेणी / ग्रेड पर मात्र औनर्स के अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। प्राप्त प्रतिशत के भिन्नात्मक अंक को शामिल नहीं किया जाएगा यथा 59.99% को 60% से कम माना जाएगा तथा 54.99 को 55% से कम माना जाएगा।

IV. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

"दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" (आर पी डब्ल्यू डी अधिनियम),की धारा 34 के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। उक्त पदों के लिए वे दिव्यांगजन उपयुक्त है, जिन्हें आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में परिभाषित किया गया है एवं समय-समय पर दिव्यांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

क. अस्थि दिव्यांग/ लोकोमोटर दिव्यांगता ("ओ सी"/ "एल डी" श्रेणी):

मस्कुलोस्केलेटल अथवा तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों की बीमारी के कारण व्यक्ति की स्वयं की एवं वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, जिसमें रीढ़ की हड्डी में चोट (एस आई) / रीढ़ की हड्डी में विकृति (एस डी) वाले व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें किसी भी संबंधित न्यूरोलॉजिकल / अंग की शिथिलता के साथ अथवा उसके बिना, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग ठीक हो जाना, बौनापन, मांसपेशियों की दुर्बलता एवं एसिड अटैक के शिकार

लोग शामिल हैं। अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत रक्षित किया जाता है:

- ओ ए - एक हाथ प्रभावित (दायाँ अथवा बायाँ)
- ओ एल - एक पैर प्रभावित (दायाँ अथवा बायाँ)
- ओ ए एल - एक हाथ एवं एक पैर प्रभावित
- बी ए- दोनों हाथ

ओ ए एवं ओ ए एल श्रेणी वाले व्यक्तियों के हाथ सामान्य दोनों तरफ से कार्यशील होने चाहिए।

क. कुष्ठ रोग ठीक व्यक्ति "का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन इससे पीड़ित है:
i हाथ अथवा पैर में सनसनी के नुकसान के साथ-साथ आंख एवं आंख की पुतली में सनसनी एवं पेरेसिस का नुकसान परंतु कोई अप्रकट विकृति के साथ;

ii प्रकट विकृति एवं पैरेसिस लेकिन उनके हाथों एवं पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे की उन्हें सामान्य आर्थिक गतिविधि में जोड़कर सक्षम बनाना;

iii अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ उच्च आयु जो उन्हे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है एवं "कुष्ठ रोग" अभिव्यक्ति को उसके अनुसार माना जाएगा;

ख. "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान अथवा उसके तुरंत बाद होता है;

ग. "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय अथवा आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) अथवा उससे कम होती है;

घ. "मांसपेशी डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को गति प्रदान करने वाली मांसपेशियों को दुर्बल कर देता है एवं मल्टीपल डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों के जीन में गलत एवं लुप्त जानकारी उपलब्ध होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने में बाधित करती है। इसकी विशेषता प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में दोष और मांसपेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

ङ. "एसिड हमला पीड़ितों" का अर्थ है कि तेजाब अथवा इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

ख. **<u>दृष्टिहीनता ("वी आई" श्रेणी):</u>** निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टिहीन व्यक्ति(VI) समझा जाएगा, सर्वोत्तम सुधार के पश्चात वे आवेदन करने के पात्र हैं:

क.**नेत्रहीनता:**
i.पूर्णत अथवा दृष्टिहीन होना, अथवा
ii दृष्टि जो उत्कृष्ट आंख में करेक्टिंग लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं हो, अथवा
iii 10 डिग्री अथवा इससे भी कम डिग्री की दृष्टि सीमा के साथ, अथवा

ख. **कम दृष्टि:**
i. दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक अथवा 20/60 से कम 3/60 तक अथवा 10/200 (स्नेलेन) से कम हो, जिसमें उत्कृष्ट सुधार संभव हो।
ii. दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के कोण की सीमा तक।

ग.**बधिर एवं श्रवणहीन (“एच आई”श्रेणी):**

क. बधिर: इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डी बी श्रवण हानि हो।

ख. सुनने में कठिनाई: इसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्ति में 60 डी बी से 70 डी बी तक सुनने की क्षमता में कमी हो।

घ.**चतुर्थ श्रेणी:** केवल वे व्यक्ति, जो निम्नानुसार परिभाषित दिव्यांगताओं में से किसी एक अथवा एकाधिक दिव्यांगताओं से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

1. बौद्धिकहीनता

क. "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार" (ए एस डी) का अर्थ एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति है, जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में परिलक्षित होती है, जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने एवं दूसरों से संपर्क स्थापित किए जाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, एवं लगातार असामान्य अथवा रूढ़िवादी रिवाजों अथवा व्यवहारों से जुड़ी होती है।

ख."विशिष्ट शिक्षण अक्षमता" (एस एल डी) का अर्थ है विषम परिस्थितियों का एक समूह जिसमें भाषा प्रसंस्करण में कमी जो स्वयं को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने अथवा गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है एवं अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सि अथवा, डिस्ग्राफि अथवा, डिस्क्लेकुलि अथवा, डिस्प्रेक्सि अथवा/ एवं विकासात्मक वाचाघात के रूप में ऐसी स्थितियां शामिल हैं।

ग. "मानसिक बीमारी" (एम आई) का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास अथवा स्मृति का एक बृहद विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को चिन्हित किए जाने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूर्ण किए जाने करने की क्षमता को काफी क्षीण कर देता है परंतु इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास की स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा चिह्नित है।

2. “एकाधिक दिव्यांगता” से तात्पर्य उपरोक्त खंड "ए"; "बी"; "सी"; डी(1)" में से एकाधिक दिव्यांगता से है।

नोट: केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क दिव्यांगता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता का अंश 40% से कम नहीं है, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है एवं इसमें दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यांगता को मापने योग्य शब्द में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उन्हें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ईसीजीसी द्वारा तय किए जाने पर उक्त से संबन्धित प्रमाणपत्र, सत्यापन / पुन: सत्यापन के अधीन होगा।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" एवं ईसीजीसी लिमिटेड में रिक्तियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

<u>(i) बेंचमार्क दिव्यांगों हेतु स्क्राइब की सेवाओं का प्रयोग किए जाने के लिए दिशानिर्देश</u>

दृष्टिहीन उम्मीदवार एवं ऐसे उम्मीदवार, जिनकी लिखने की गति स्थायी रूप से किसी भी कारणवश प्रतिकूल रूप में प्रभावित हो गई है, वे ऑनलाइन परीक्षा के दौरान स्वयं के व्यय पर स्क्राइब की सेवाएँ ले सकते हैं। भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन मामले विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक दिनांक 26 फरवरी, 2013 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 16-110/2003-डी डी III के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दिनांक 26.04.2013 को जारी पत्र एफ. संख्या 3/2/2013- कल्याण के अनुसार जारी स्पष्टीकरण एवं भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 10.08.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 29-6/2019-डीडी-III के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऐसे सभी मामलों में जहां स्क्राइब की सेवाएँ ली गईं हैं, निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

क. कार्यालय ज्ञापन – एफ. संख्या 29-6/2019-डी डी-III, दिनांक 10.08.2022 के अनुसार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के समय एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के लिखने की क्षमता सीमित है एवं उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है, जैसा कि अनुलग्नक-VIII में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त किया गया है।

ख. स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर निम्न होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के समय अनुलग्नक-IX के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग. उम्मीदवार को स्वयं के व्यय पर उनके स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

घ. स्क्राइब किसी भी शैक्षणिक क्षेत्र के हो सकते हैं।

ङ. उम्मीदवार एवं स्क्राइब दोनों को उपयुक्त वचन देना होगा कि स्क्राइब, उनके लिए निर्धारित उपर्युक्त पात्रता मानदंड का पूर्ण अनुपालन करता है। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि वह निर्धारित किसी पात्रता मानदंड का अनुपालन नहीं करता है अथवा तथ्यों को छुपाया गया है तो, भर्ती प्रक्रिया के परिणाम कि परवाह किए बिना, आवेदनकर्ता की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

च. ·ऑनलाइन आवेदन के समय अथवा परीक्षा के समय अथवा किसी भी स्तर पर प्रस्तुत घोषणा पत्र में उम्मीदवार / स्क्राइब के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार एवं स्क्राइब को ईसीजीसी लिमिटेड की भर्ती परीक्षाओं के लिए स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट समयावधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

छ. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नपत्र हल कर रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा एवं उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि परीक्षा के बाद परीक्षण व्यवस्थापक कर्मियों द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वयं प्रश्नपत्र हल किया है अथवा किसी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर देने के लिए प्रेरित किया गया हो, तो एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द की जाएगी। ऐसे मामलों में, उम्मीदवार एवं लेखक को ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं से स्थायी रूप से अथवा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

ज. स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट तथा / अथवा इसके अंश के क्षतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

झ. एक उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में सेवा देने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार के लिए स्क्राइब नहीं हो सकता हैं।

ञ. स्क्राइब ईसीजीसी का वर्तमान / भूतपूर्व कार्मिक नहीं होना चाहिए।

ट. उम्मीदवार द्वारा व्यवस्थित स्क्राइब ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं उन्हें बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है, यदि वे ईसीजीसी में कार्यग्रहण किए हुए हैं।

ठ. परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना होगा। इस संदर्भ में बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर अनुकूल विचार नहीं किया जाएगा।

ड. केवल क्षतिपूरक समय के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों (ऑनलाइन पंजीकरण के समय) को ही क्षतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, चूंकि यह सिस्टम आधारित है अतः परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसे उम्मीदवार जो पंजीकृत नहीं को क्षतिपूरक समय उपलब्ध करना संभव नहीं है। ऐसे उम्मीदवार जो पंजीकृत नहीं हैं उनको क्षतिपूरक समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ढ. जिन उम्मीदवारों को ईसीजीसी. द्वारा इस आशय की सूचना दिए जाने के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए ईसीजीसी परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया है, वे तदनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

ण. ईसीजीसी लिमिटेड के पास अन्य भर्ती एजेंसियों को सूचनार्थ वंचित उम्मीदवारों / स्क्राइबो की सूची साझा करने का अधिकार सुरक्षित है।

त. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए वैध आधार कार्ड अपने पास रखें/प्राप्त करें। ईसीजीसी लिमिटेड, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, जहाँ भी उम्मीदवार द्वारा आवेदन में ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है, उम्मीदवार/लेखक का आधार सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ii) **<u>लोकोमोटर अशक्तता एवं मस्तिष्क पक्षाघात वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश</u>**

लोकोमोटर अशक्तता एवं मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए प्रति घंटे बीस मिनट का क्षतिपूरक समय अथवा अन्यथा सलाह दी जाएगी, जहां प्रमुख (लेखन) अंग कार्य निष्पादन (न्यूनतम 40% हानि) को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है।

<u>(iii) नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश</u>

नेत्रहीन उम्मीदवार (जो कम से कम 40% अशक्तता से प्रभावित हों) वे परीक्षा की विषय वस्तु देखने के लिए आवर्धक फॉन्ट का चयन कर सकते हैं एवं ऐसे सभी उम्मीदवार प्रति घंटे 20 अतरिक्त मिनट, अथवा जैसा परीक्षा में निर्देशित किया जाएगा, के पात्र होंगे।

परीक्षण की विषय-वस्तु को आवर्धक फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा उन दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं होगी, जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेते हैं।

(iv) <u>बौद्धिक अक्षमता (आई डी) वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश</u>

40% से अधिक बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता एवं मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवारों को, चाहे वे स्क्राइब की सेवाएं लें रहें है अथवा नहीं, परीक्षा के प्रति घंटे बीस मिनट का क्षतिपूरक समय दिया जाएगा।

(v) 40% से कम दिव्यांगता वाले एवं लिखने में कठिनाई वाले विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश:

यदि आर पी डब्ल्यू डी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ए स) के अनुसार निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों द्वारा विकल्प चुना जाता है, तो धारा 2 (आर) के अंतर्गत रक्षित नहीं किया जाता है, 40% से कम दिव्यांगता होती है एवं लिखने में कठिनाई होती है, तो स्क्राइब एवं / अथवा क्षतिपूरक समय की सुविधा बढ़ाई जाएगी। स्क्राइब एवं / अथवा क्षतिपूरक समय की सुविधा केवल उन आवेदकों को प्रदान की जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई हो, बशर्ते कि वे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है एवं उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए अनुलग्नक-VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

पात्र उम्मीदवार को अपना स्वयं का स्क्राइब लाना आवश्यक है। स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर निम्न होनी चाहिए। विशेषज्ञ के लिए, योग्य उम्मीदवारों के साथ हिंदी में संवाद करने में सक्षम लेखक (सिक्राइब) लाना संभव है। हालांकि, लेखक की अनुशासन उस अनुशासन से अलग होना चाहिए जो पद के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अपना स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति को अनुलग्नक-IX में दिए गए प्रपत्र के अनुसार अपना स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो व्यक्ति स्क्राइब पाने के लिए पात्र हैं, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे कम से कम 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

यदि परीक्षा की अवधि एक घंटे से कम है, तो क्षतिपूरक समय की अवधि आनुपातिक आधार पर प्रदान की जाएगी।

नोट:
ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा शारीरिक/कार्यात्मक आवश्यकताओं के साथ-साथ निम्नलिखित श्रेणियों को चिन्हित की गई है और केवल निम्नलिखित श्रेणियों के पी डब्ल्यू बी डी उम्मीदवार ही पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं:

बेंचमार्क दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी*	शारीरिक/कार्यात्मक आवश्यकताएं**	टिप्पणी
क) बी, एल वी ख) डी एवं एच एच ग) ओ ए, बी ए, ओ एल, बी एल, ओ ए एल, बी ए एल, बी एल ओ ए, सी पी, एल सी, डी डब्ल्यू, ए ए वी, एस डी / एस आई घ) एस एल डी, ए एस डी (एम), एम आई ङ) उपरोक्त (क) से (घ) तक के एम डी	एस, डब्ल्यू, एस टी, एच, एम एफ, आर डब्ल्यू, एस ई, सी	इस पद में फील्ड संबंधी कार्य, मस्तिष्क का व्यवहार एवं कुछ परिस्थितियों में निर्णय लेना शामिल है। जहां भी आवश्यक हो, पदाधिकारी को सहायता एवं उपकरणों के साथ विचार किया जाता है।

*** प्रयुक्त श्रेणी संक्षिप्ताक्षर:** बी-नेत्रहीनता, एल वी=कम दृष्टि, डी=श्रवण हीनता, एच एच=सुनने में कठिनाई, ओ ए=एक हाथ, बी ए=दोनों हाथ, ओ एल=एक पैर, बी एल=दोनों पैर, ओ ए एल=एक हाथ एवं एक पैर, बी ए लए=दोनों पैर एवं हाथ, बी एल ओ ए=दोनों पैर एवं एक हाथ, सी पी=मस्तिष्क पक्षाघात, एल सी=कुष्ठ रोग ठीक हो चुका है, डी डब्ल्यू=बौनापन, ए ए वी=एसिड अटैक पीड़ित, एस डी / एस आई=रीढ़ की हड्डी में विकृति एवं रीढ़ की हड्डी में आघात, साथ में कोई न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता, एस एल डी=विशिष्ट सीखने संबंधी अक्षमता, ए एस डी (एम)=ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (सामान्य), एम आई = मानसिक बीमारी, एम डी = एकाधिक दिव्यांगता।

** शारीरिक/कार्यात्मक आवश्यकताएँ: एस=बैठना, एस टी-खड़े रहना, एच=सुनना, डब्ल्यू=चलना, एम एफ=उंगलियों से संचालन, आर डब्ल्यू=पढ़ना एवं लिखना, एस ई=देखना, सी=संवाद।"

(ii) ये दिशानिर्देश भारत सरकार (जी ओ आई) के दिशानिर्देशों/ स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

(iii) यदि उम्मीदवार के अंक/निष्पादन की वास्तविकता/वैधता के बारे में संदेह हो, तो पुनः परीक्षा आयोजित करने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है।

<u>V. ई डब्ल्यू एस(आर्थिक पिछड़ा वर्ग)</u>

1. वे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं एवं जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु. 8.00 लाख (रुपये आठ लाख केवल) से कम है, को आरक्षण के लाभ हेतु ई डब्ल्यू एस के रूप में समझा जाएगा। इस आवेदन से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से आय शामिल होंगे। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के परिवार की आय के बावजूद वो यदि निम्नलिखित संपत्ति में से किसी एक का मालिक है अथवा उनके पास है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं समझा जाएगा।

i.) 5 एकड़ एवं इससे अधिक कृषि भूमि

ii) 1000 वर्ग फुट एवं इससे अधिक आवासीय फ्लैट

iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज एवं उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा 200 वर्ग गज एवं उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. विभिन्न लोकेशनों अथवा विभिन्न स्थानों / शहरों में एक "परिवार" की संपत्ति को डब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि अथवा संपत्ति होल्डिंग टेस्ट लागू करते समय क्लब किया जाएगा।

3. ई डब्ल्यू एस के अधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैध 'आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है।निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ई डब्ल्यू एस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन / साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन / साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. इस उद्देश्य के लिए "परिवार" के रूप में अपने माता-पिता एवं भाई-बहनों के साथ-साथ अपने पति / पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी शामिल किया जा सकता हैं एवं उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
5. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ई डब्ल्यू एस रिक्तियां अनुमानित हैं एवं भारत सरकार के अगले निर्देशों एवं किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

नोट: इन दिशानिर्देश में भा. स. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / स्पष्टीकरणों के आधार पर परिवर्तन संभव है।

VI. ऑनलाइन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/ पी डब्ल्यू बी डी से संबंधित पात्र उम्मीदवारों के लिए कंपनी द्वारा ऑनलाइन पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

सभी योग्य उम्मीदवार जो ऑनलाइन पूर्व प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑन-लाइन आवेदन में संबंधित कॉलम को भरना चाहिए। प्रतिक्रिया अथवा / एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण को रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं।

केवल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने मात्र से कोई भी उम्मीदवार कंपनी में चयन का अधिकारी नहीं होगा।

ग. चयन प्रक्रिया – ऑनलाइन परीक्षा

एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें दो पेपर (200 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद 40 अंकों का एक वर्णनात्मक पेपर) होंगे।

ऑनलाइन होने वाली परीक्षा का स्वरूप निम्नलिखित होगा:

(i) वस्तुनिष्ठ परीक्षण - **परिवीक्षाधीन अधिकारी (सामान्य) बहुविकल्पी प्रश्न: (एम सी क्यू)**

क्र.सं.	**परीक्षा का नाम**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**समया वधि**
1.	तर्क शक्ति	50	50	40 मिनट
2.	अंग्रेज़ी भाषा	40	40	30 मिनट
3.	कम्प्युटर ज्ञान	20	20	10 मिनट
4.	सामान्य सचेतता	40	40	20 मिनट
5.	संख्यात्मक अभियोग्यता	50	50	40 मिनट
	कुल	200	200	140 मिनट

(ii) वस्तुनिष्ठ परीक्षण : परिवीक्षाधीन अधिकारी (विशेषज्ञ) बहुविकल्पी प्रश्न: (एम सी क्यू)

क्र.सं.	**परीक्षा का नाम**	**प्रश्नों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	**समया वधि**
1.	तर्क शक्ति	40	40	30 मिनट
2.	अंग्रेज़ी भाषा	40	40	20 मिनट
3.	सामान्य सचेतता	30	30	10 मिनट
4.	संख्यात्मक अभियोग्यता	40	40	40 मिनट
5.	व्यावसायिक ज्ञान	50	50	40 मिनट
	कुल	200	200	140 मिनट

(iii) वर्णनात्मक प्रश्नपत्र(अंग्रेजी भाषा की परीक्षा) परिवीक्षाधीन अधिकारी (सामान्य)

क्र.सं.	**गतिविधि का प्रकार**	**प्रश्नों की संख्या**	**अंक**	निर्धारित समय
1.	निबंध लेखन	दिये गए दो विकल्पों में से एक	20	दोनों प्रश्नों हेतु सम्मिलित रूप से 40 मिनट
2.	संक्षिप्त लेखन	दिये गए दो विकल्पों में से एक	20	

(iv) वर्णनात्मक प्रश्नपत्र(भाषा की परीक्षा) परिवीक्षाधीन अधिकारी (सामान्य)

क्र.सं.	**गतिविधि का प्रकार**	**प्रश्नों की संख्या**	**अंक**	निर्धारित समय
1.	निबंध लेखन (अंगरेजी भाषा)	दिये गए दो विकल्पों में से एक	20	दोनों प्रश्नों हेतु सम्मिलित रूप से 40 मिनट
2.	अनुवाद लेखन	दिये गए दो विकल्पों में से एक	20	

कंपनी को परीक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करने का अधिकार है जिसकी सूचना इसकी वेबसाइट द्वारा दी जाएगी। परीक्षा से संबन्धित अन्य विवरण एवं सूचनायें सूचना पत्र में दी जाएंगी जो की कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in **पर उम्मीदवारों हेतु उनके प्रवेश पत्र के साथ डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।**

ऑनलाइन परीक्षा के लिए खंडवार कटऑफ और कुल कटऑफ होगा।अंग्रेज़ी के विवरणात्मक प्रश्नपत्र के अंको की गणना मेरिट सूची हेतु की जाएगी। इसका मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों हेतु होगा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में उत्तीर्ण हुए हों एवं कुल अंकों के आधार पर पर्याप्त रूप से ऊंचे स्थान पर हों। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रत्येक अनुभाग तथा वर्णनात्मक प्रश्नपत्र के लिए चयन हेतु कटऑफ अंकों का निर्धारण ईसीजीसी द्वारा किया जाएगा। वर्णनात्मक परीक्षण का मूल्यांकन, कुल रिक्तियों की संख्या के 12 गुना या अधिक, प्रत्येक श्रेणी में, उपलब्धता के आधार पर कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेज़ों के अनुपस्थिति में उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी:

(1) **संबन्धित दिनांक एवं परीक्षा के सत्र का वैध प्रवेश पत्र जिस पर पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका हो**,

(2) **फोटो पहचान पत्र (जैसा वर्णित है) की मूल प्रति जिसमें प्रवेश पत्र/ आवेदन पत्र के समान ही नाम अंकित हो**, **एवं**

(3) फोटो पहचान पत्र की प्रतिलिपि(जैसा ऊपर (2) में वर्णित है)

(4) अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो।

(5) विलंब से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों यथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय के बाद आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रवेश पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व का समय है।

(6) यद्यपि परीक्षा की अवधि 3 घंटे है तथापि उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर 4 घंटे अथवा अधिक रहना पड़ सकता है जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति यथा विभिन्न मांगे हुए दस्तावेज़ों का प्रमाणन एवं संकलन, लॉग इन करने, निर्देशों को दिये जाने आदि में लगा समय सम्मिलित है।

(7) उम्मीदवारों को "सूचना पुस्तिका" एवं कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ **एक अतिरिक्त फोटो (जैसा कि उम्मीदवार द्वारा कॉल लेटर पर चिपकाया है) लाने की आवश्यकता है।**

(यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड की गई तस्वीर की लगभग 8 (आठ प्रतियां) अपने पास रखें क्योंकि चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी)।

II. गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग (केवल बहुविकल्पी प्रश्नपत्र पर लागू)

वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रत्येक प्रश्न जिसका उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, के लिए दंड स्वरूप, प्रश्न हेतु आवंटित अंक का एक चौथाई अथवा 0.25 अंक सही प्रश्नों से प्राप्त अंकों में से काट लिए जाएंगे। यदि प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ा गया है अर्थात कोई भी उत्तर नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न हेतु कोई दंड नहीं है।

ङ. परीक्षा केंद्र

(i) ऑनलाइन परीक्षा केंद्र अर्थात अहमदाबाद/गांधीनगर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली-एनसीआर, एर्नाकुलम/कोच्चि, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मोहाली, मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर क्षेत्र, मंगलोर, मैसूर, नागपुर, पंचकुला, पटना, प्रयागराज, पुणे, राजकोट, रांची, सूरत, उदयपुर, वाराणसी, विश्वनाथपुरम, विशाखापतनम हैं ।

(ii) परीक्षा केंद्र में बदलाव की किसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) प्रतिक्रिया अथवा / एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर किसी परीक्षा केंद्र को रद्द करने एवं / अथवा कुछ एवं केन्द्रों को जोड़ने अथवा कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के सभी अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित हैं। इसकी सूचना अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल/वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी।

(iv) कंपनी को उम्मीदवार द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र के अलावा भी कोई अन्य परीक्षा केंद्र उन्हें आवंटित करने का अधिकार है।

(v) उम्मीदवार अपने जोखिम एवं व्यय पर किसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा कंपनी किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(vi) परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के उद्दंड व्यवहार/ दुर्व्यवहार का परिणाम उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होने / कंपनी द्वारा भविष्य में आयोजित परीक्षाओं हेतु अयोग्यता के रूप में प्राप्त हो सकता है।

च. प्राप्तांक

(i) प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा विभिन्न सत्रों (यदि होते हैं) में प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण इक्वी-परसेंटाइल विधि द्वारा किया जाएगा। गणना के लिए, अंको को दशमलव के दो स्थानों तक जाया जाएगा।

(ii) **प्राप्तांकों गणना की प्रक्रिया**

निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांकों को प्राप्त किया जाएगा:

क) किसी उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सही उत्तर दिये गए प्रश्नों की संख्या को, गलत उत्तर हेतु दंड लगाने के पश्चात, संशोधित प्राप्तांक हेतु लिया जाएगा।

ख) उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संशोधित अंकों को समतुल्य बनाया जाता है, ताकि विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई स्तर में मामूली अंतर, यदि कोई हो, का ध्यान रखा जा सके, जिससे समतुल्य अंक प्राप्त किए जा सकें।*

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा अर्जित प्राप्तांकों को आधार रूप में प्राप्तांकों के सभी रूपों के वितरणों को ध्यान में रखते हुए समीकृत किया जाएगा।

ग) परीक्षावार प्राप्तांक एवं कुल प्राप्तांक को दशमलव के दो स्थानो तक दर्शाया जाएगा।

नोट: कट ऑफ दोनों स्तरों पर लागू होगा :

i. प्रत्येक परीक्षण के प्राप्तांक पर
ii. कुल प्राप्तांक पर

III. कट-ऑफ प्राप्तांक (ऑनलाइन परीक्षा)

प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा के प्रत्येक परीक्षण में कुछ न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे तथा साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी एक न्यूनतम कुल प्राप्तांक होने पर विचार किया जाएगा। उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ का निर्णय लिया जाएगा एवं साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व, साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों की सूचना नहीं दी जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार हेतु चयन के लिए तथा ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में संयुक्त रूप से प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची में चयन हेतु आधार बनाया जाएगा।

छ. साक्षात्कार

जो उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा में चुने गए हैं उन्हे कंपनी द्वारा आयोजित दिल्ली एवं मुंबई केन्द्रों में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को केंद्र, स्थान का पता, साक्षात्कार के समय एवं दिन की सूचना प्रवेश पत्र में प्राप्त होगी। उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.ecgc.in से डाउनलोड करने होंगे। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार के दिन, स्थान आदि में परिवर्तन की किसी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, अप्रत्याशित परिस्थितियों में साक्षात्कार के दिन/स्थान/समय/केंद्र आदि में बदलाव का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।
साक्षात्कार के लिए कुल 60 अंक आवंटित किए गए हैं। साक्षात्कार में चयन संबंधी न्यूनतम अंक 40%(अजा/अजजा/अपिजा/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 35%) से कम नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार की भारिता का अनुपात क्रमशः 80:20 होगा। उम्मीदवार का संयुक्त प्राप्तांक ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगा। वे उम्मीदवार जो न्यूनतम अंक न प्राप्त कर पाने के कारण अथवा / अन्यथा साक्षात्कार अथवा आगे की प्रक्रिया के लिए रोके गए हैं उनके साक्षात्कार के अंक प्रदर्शित नहीं किए जाएँगे।

आगे की चयन प्रक्रिया, जिसका विवरण समय के साथ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, हेतु शॉर्टलिस्ट होने के लिए एक उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में ही पात्र होना होगा तथा मेरिट में पर्याप्त उच्च स्थान प्राप्त करना होगा ।

साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को वैध निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज़ न प्रस्तुत करने की स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। कंपनी अलग से भेजे गए किसी प्रमाणपत्र/विप्रेशण/ दस्तावेज़ को प्राप्त/संग्रहित करने आदि की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची (जो भी हो)
निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, उम्मीदवार की योग्यता तथा पहचान के संबंध में, साक्षात्कार के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से मना किया जा सकता है। **साक्षात्कार के समय मांगे गए दस्तावेज़ों को न प्रस्तुत करने की स्थिति में आगे की चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारी से उसे रोक दिया जाएगा।**

(i) वैध प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट
(ii) ऑनलाइन परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध, सिस्टम द्वारा जेनरेटेड, प्रिंटआउट
(iii) जन्म दिवस का साक्ष्य (नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र अथवा एस एस एल सी/ 10 वीं स्तर का जन्मतिथि के साथ प्रमाणपत्र)
(iv) विज्ञापन के पॉइंट । में बताए गए फोटो पहचान पत्र
(v) 10वीं, 12 वी, स्नातक अथवा पात्रता डिग्री परीक्षा आदि के अंक-पत्र तथा प्रमाणपत्र जिसके दिनांक **01.11.2025** को या उससे पहले परिणाम की घोषणा संबंधी बोर्ड/ विश्वविद्यालय के वैध दस्तावेज़
(vi) अधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अजा/अजजा/अपिजा उम्मीदवारों हेतु प्रावधान है।

अन्य पिछड़े वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को जो क्रीमीलेयर में आते हैं अथवा उनकी जाति केंद्र की अपिजा सूची में नहीं है वे आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। उन्हे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना वर्ग सामन्य लिखना चाहिए।

(vii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

(viii) दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में नवीनतम वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि उम्मीदवार ने स्क्राइब की सेवाएँ ली हैं तो निर्दिष्ट प्रारूप में स्क्राइब का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

(ix) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय सेवा या सेवामुक्ति पुस्तिका की एक प्रति, पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम/वर्तमान पद (मौलिक और कार्यकारी) का दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं और पदों पर पुनर्नियोजन) नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे 05.12.2025 को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त हो जाएँगे।

(x) साक्षात्कार के समय सरकारी/ अर्ध-सरकारी/ सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी अनुपस्थिति में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उन्हें किसी यात्रा भत्ते, यदि होता है तो तथा जो अन्यथा दिया जाता है, का भुगतान नहीं किया जायेगा| ईसीजीसी लिमिटेड में चयन हेतु साक्षात्कार में शामिल होने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किया गया हो|

(xi) अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो। (हार्डकॉपी / डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति / वैध ई-मेल आईडी से प्राप्त - सत्यापन के अधीन, अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे।

(xii) श्रेणी (ii), (iii), (iv) तथा पॉइंट ग (I)) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(xiii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में प्रमाण पत्र, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति, इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में सीमा है और अनुलग्नक-VIII के रूप में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए लेखक आवश्यक है।

(xiv) पात्रता के संबंध में कोई अन्य उपयुक्त दस्तावेज़

नोट:

i. **उम्मीदवार को साक्षात्कार में नहीं सम्मिलित होने दिया जाएगा यदि वह उपरोक्त पात्रता संबंधी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में असफल होता है।**

ii. **साक्षात्कार के समय संबन्धित पात्रता दस्तावेजों का अनुपस्थिति उम्मीदवार को भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए अयोग्य बना देगा।**

iii. **कोई भी दस्तावेज़ साक्षात्कार से पहले अथवा बाद में कंपनी को सीधे नहीं भेजा जाएगा।**

iv. **सभी दस्तावेज जैसे शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र जिसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, नवीनतम वैध दिव्यांग्ता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड आदि शामिल हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सत्यता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए जारीकर्ता प्राधिकारी के साथ सत्यापित किए जाएंगे। ऐसे दस्तावेजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार को परीक्षा से बाहर करने और आगे लागू होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।**

v. **वास्तविक और उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना पूरी तरह से उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी, ज्वाइनिंग के बाद कोई भी गलत प्रस्तुति पाए जाने पर भी ऊपर बताई गई कार्रवाई की जाएगी।**

vi. **एससी/एसटी/ओबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं (जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है):**

<u>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जातियों के लिए</u> : (i) जिला अधिकारी/अतरिक्त जिलाधिकारी/ कलेक्टर/ उप आयुक्त/ अतरिक्त उपायुक्त/ उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/ उप-मंडल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट कि रैंक से नीचे का नहीं)/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट /अतरिक्त सहायक आयुक्त ; (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अतरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार एवं उससे ऊपर की रैंक का राजस्व अधिकारी (iv) उस क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।

<u>आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए</u> :(i) जिला अधिकारी/ अतरिक्त जिलाधिकारी/ कलेक्टर/ उप आयुक्त/ अतरिक्त उपायुक्त/ उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार एवं उससे ऊपर की रैंक का राजस्व अधिकारी (iv) उस क्षेत्र का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार रहता है।

<u>बेंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए</u>: प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी और एक हड्डी रोग विशेषज्ञ/नेत्र रोग विशेषज्ञ/ईएनटी सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में नामित कोई व्यक्ति शामिल होगा।

अजा/अजजा/अपिजा/दिव्यांग वर्गों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय उनके वर्गों से सम्बंधित प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करने होंगे| इन प्रमाण पत्र का सत्यापन/पुन: सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। **प्रमाण पत्र आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले की तारीख का होना चाहिए एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वैध होना चाहिए।**
अजा/अजजा/अपिजा/आपिव/दिव्यांग प्रमाणपत्र, साक्षत्कार के समय प्रस्तुत करना हैं। अजा/अजजा/अपिजा/आपिव/दिव्यांग प्रमाणपत्र, जो साक्षत्कार के समय प्रस्तुत किये जाने हैं, के फार्मेट

ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.ecgc.in से डाऊनलोड किये जा सकते हैं| उक्त श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को केवल निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कड़ाई से अनुपालन करना है।

ज) चयन

अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में एक साथ लिए गए उम्मीदवारों के प्रदर्शन तथा योग्यता के आधार पर होगा। साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, कंपनी की कारोबार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के आधार पर, सरकार की आरक्षण नीति, भारत सरकार/अन्य द्वारा समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों, प्रशासनिक आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को कार्यगृहण पत्र भेजे जाएंगे। इस विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या विज्ञापन की तारीख तक की है। तथापि, इस चयन प्रक्रिया की योग्यता सूची अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष (अर्थात 365 दिन) तक वैध होगी एवं दिनांक **31/03/26** तक की अवधि के लिए उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्तियां प्रस्ताव पत्र जारी करके भरी जा सकती हैं। अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तिथि के एक वर्ष (अर्थात 365 दिन) के पश्चात योग्यता सूची स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि, जब सभी अधिसूचित रिक्त पदों को भर दिया जाता है तो कंपनी इस योग्यता सूची का उपयोग नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

उम्मीदवार द्वारा पहले से पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार, जो कि सामान्य वर्ग के लिए लागू होने वाले मानकों पर चयनित होता है तो उसे स्वतः योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो कि अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के लिए लागू होने वाले मानकों पर चयनित होते हैं तो उनको आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऑनलाइन पंजीकरण में पंजीकृत उनका मूल वर्ग अपरिवर्तित रहेगा।

दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होने पर, प्रचलित पद्धति के अनुसार, उम्मीदवार की जन्मतिथि (उम्र में वरिष्ठ उम्मीदवार को उम्र में कनिष्ठ उम्मीदवार के ऊपर/पहले रखा जाएगा) के आधार पर मेरिट का निर्णय लिया जाएगा।

उम्मीदवार का अंतिम चयन इस विज्ञापन में दी गई अहर्ताओं को पूरा करने एवं कंपनी की संतुष्टि के लिए पहचान सत्यापन पर निर्भर करता है। यदि, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन का अवसर समाप्त हो जाएगा।

नियम एवं शर्तों सहित नियुक्ति पत्र जारी करना, सत्यापन के लिए औपचारिकताएँ, नियुक्ति आदि पर केवल कंपनी पर निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। कंपनी का निर्णय अंतिम होगा एवं चयनित उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा।

यह एक अखिल भारतीय सेवा है एवं चयनित उम्मीदवार की तैनाती कंपनी के विवेकाधिकार से भारत में कहीं भी की जा सकती है।

बॉन्ड: चयनित उम्मीदवारों को, कार्यग्रहण के समय, तीन महीने के वेतन (वेतन जिसके लिए अधिकारी पात्र है) के बराबर राशि के लिए एक बांड निष्पादित करना होगा, जो कि ईसीजीसी को कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सेवा देने के लिए लिक्विडेटेड नुकसान के रूप में होगा। यदि उम्मीदवार कार्यग्रहण की तारीख से तीन साल की समाप्ति से पहले ईसीजीसी की सेवा से इस्तीफा दे देता है, तो ईसीजीसी द्वारा बांड को लागू किया जाएगा। लिक्विडेटेड नुकसान के हर्जाने के अलावा अधिकारी को तीन महीने की नोटिस अवधि पर काम करना होगा।

यदि कोई कर्मचारी ऊपर बताई गई शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, तो उसे कंपनी को मुआवज़े के तौर पर, नोटिस अवधि के लिए अपने वेतन के बराबर राशि का भुगतान करना होगा, जो राशि उसे देय किसी भी राशि से काटी जा सकती है। यह राशि बॉन्ड राशि के अतिरिक्त होगी।

ञ) पहचान सत्यापन

(i) प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी, उम्मीदवार के फोटो पहचान पत्र **(प्रवेश पत्र में लिखे हुए नाम जैसे ही नाम वाला)** जैसे पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस/ वोटर कार्ड/ फोटो सहित बैंक पासबुक/ राजपत्रित अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो के साथ पहचान प्रमाण पत्र/ प्रतिष्ठित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ एक फोटो सहित ई आधार कार्ड/ कर्मचारी पहचान प्रमाण पत्र सहित प्रवेश पत्र सत्यापन हेतु पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा। उपस्थिति सूची एवं प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों में प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार उम्मीदवार की पहचान सत्यापित की जाएगी। **यदि उम्मीदवार की पहचान पर संदेह होता है तो उम्मीदवार को परीक्षा/ साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

- **इस परीक्षा में राशन कार्ड एवं लरनर्स ड्राइविंग लाइसेन्स को वैध पहचान पत्र नहीं माना जाएगा।**
- **ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नाम में परिवर्तन किया है उनको मूल राजपत्रित अधिसूचना/ उनका मूल विवाह प्रमाण पत्र/ मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जा सकती है।**

नोट : अभ्यर्थियों को मूल रूप में वही फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर ऑनलाइन आवेदन पत्र/कॉल लेटर में दिया गया नाम अंकित हो तथा परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होते समय फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति परीक्षा कॉल लेटर तथा साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) बायोमेट्रिक सत्यापन:

• चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में: अभ्यर्थियों की तस्वीर और बायोमेट्रिक डेटा (बाएँ अंगूठे का निशान या अन्य) लिया/सत्यापित किया जा सकता है। ली गई तस्वीर का मिलान अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अपलोड की गई तस्वीर से किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन में अपलोड की गई तस्वीर से अपना रूप नहीं बदलना चाहिए। किसी भी स्थिति

में बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान/सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

• बायोमेट्रिक डेटा लेने के संबंध में, कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

क) यदि उंगलियों पर कोई परत (मुद्रित स्याही/मेहंदी/रंग आदि) है, तो उन्हें अच्छी तरह से धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा के दिन से पहले परत पूरी तरह से हट जाए।

ख) यदि उंगलियां गंदी या धूल भरी हैं, तो फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) लेने से पहले उन्हें धोकर सुखा लें।
ग) सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों। यदि उंगलियां नम हैं, तो उन्हें सुखाने के लिए प्रत्येक उंगली को पोंछ लें।

घ) यदि ली जाने वाली प्राथमिक उंगली (बायां अंगूठा) घायल/क्षतिग्रस्त है, तो परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें।
• ऐसे मामलों में अन्य उंगलियों, पैर की उंगलियों आदि के निशान लिए जा सकते हैं।
• बायोमेट्रिक सत्यापन प्राधिकारी का इसकी स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

(**iii)** ईसीजीसी लिमिटेड चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों/लेखकों का ऑनलाइन आधार सत्यापन भी कर सकता है।'उम्मीदवार रोल नंबर और लैब नंबर' की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन परीक्षा स्थल पर प्रवेश के समय उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से इसकी सूचना दी जाएगी और उनके एडमिट कार्ड/कॉल लेटर और आईडी सत्यापन के बाद इसकी सूचना दी जाएगी।

त) परीक्षा केंद्र के भीतर निम्नलिखित वस्तुएँ ले जाने की अनुमति है :

अभ्यर्थियों को अपने साथ केवल कुछ ही वस्तुएं कार्यक्रम स्थल पर ले जाने की अनुमति होगी

i. एक साधारण कलम
ii. परीक्षा से संबंधित दस्तावेज (प्रवेश पत्र / एडमिट कार्ड, मूल पहचान पत्र, पहचान पत्र की फोटोकॉपी आदि)
iii. प्रवेश पत्र/ एडमिट कार्ड को फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी के साथ लाया जाना चाहिए। मूल पहचान पत्र (फोटोकॉपी के समान) को भी सत्यापन के लिए लाया जाना है। पहचान पत्र एवं प्रवेश पत्र / एडमिट कार्ड पर नाम बिल्कुल समान होना चाहिए। पी डब्ल्यू बी डी उम्मीदवारों को अपना नवीनतम वैध दिव्यांग**ता प्रमाण पत्र ऑनलाइन लिखित परीक्षा केंद्र पर दिखाना आवश्यक है।**
iv. स्क्राइब का सेवा लेने वाले उम्मीदवार के मामले में- स्क्राइब फॉर्म फोटोग्राफ के साथ विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए।

किसी अन्य वस्तु को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है।

थ) परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं की अनुमति नहीं है: -

(क) कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर आदि।

(ख) कोई भी संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ, ईयरफ़ोन, माइक्रोफ़ोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि।
(ग) अन्य वस्तुएँ जैसे गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, टोपी आदि।
(घ) सभी आभूषण जैसे अंगूठी, झुमके, नोज-पिन, चेन/हार, पेंडेंट, बैज, ब्रोच आदि की पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए।
(ड) कोई भी घड़ी/कलाई घड़ी, कैमरा, आदि।
(च) कोई भी धातु की वस्तु
(छ) कोई भी खुली या पैक की हुई खाद्य सामग्री
(ज) कोई भी अन्य वस्तु जिसका उपयोग अनुचित साधनों जैसे कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि को छिपाने के लिए किया जा सकता है।
इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध और पुलिस शिकायत शामिल है।

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु न लाएँ, क्योंकि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ECGC या ऑनलाइन परीक्षा के संचालन से जुड़ी कोई भी एजेंसी किसी भी वस्तु के खो जाने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उम्मीदवारों की होगी। उम्मीदवार को अपना कोई भी निजी सामान/सामग्री किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए।

द) उम्मीदवार पंजीकरण:

क) उम्मीदवार का पंजीकरण फोटो एवं बायोमेट्रिक कैप्चर के माध्यम से किया जाएगा।
ख) उम्मीदवार को खड़ा करके ही फोटो खींची जाएगी।
ग) उम्मीदवार को सीट नंबर दिया जाएगा।

ध) रफ शीट, प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र प्रबंधन

- प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर रखी गई शीट(टो) का उपयोग उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के दौरान कोई अतिरिक्त शीट प्रदान नहीं की जाएगी।
- उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जमा करने से संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा, जो लैब में/ बाहर निकलते समय अथवा निर्धारित स्थान पर दिए गए ड्रॉप बॉक्स में पहचान पत्र कॉपी के साथ जमा करना होगा। जो उम्मीदवार स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हें प्रवेश पत्र फॉर्म एवं पहचान पत्र कॉपी के साथ स्क्राइब भी फॉर्म जमा करना चाहिए।
- बाहर निकलते समय लैब/ केंद्र से बाहर दिए गए ड्रॉप बॉक्स में उम्मीदवार को रफ शीट जमा करना हैं। रफ शीट के लिए ड्रॉप बॉक्स प्रवेश पत्र ड्रॉप बॉक्स से अलग होगा। विशिष्ट निर्देश परीक्षा केंद्र में प्रदर्शित किए जाएंगे।

न) परीक्षा के बाद नियंत्रण

- एक शिफ्ट के पूरा होने पर, उम्मीदवारों को भीड़ के बिना क्रमबद्ध ढंग से स्थल के कर्मियों द्वारा निर्देशित अनुसार स्थल से बाहर निकालना होगा।

(परीक्षा से संबंधित कुछ एवं निर्देश परीक्षा की निर्धारित तिथि के दौरान स्थिति के आधार पर जोड़े अथवा संशोधित किए जा सकते हैं)

न) आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार केवल दिनांक- 11.11.2025 से 05.12.2025 तक ही आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन की कोई अन्य पद्धति मान्य नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं :

i. स्कैन करें

- अपने फोटोग्राफ (4.5 सें मी X 3.5 सें मी)
- हस्ताक्षर
- बाएं अंगूठे का निशान (यदि किसी उम्मीदवार का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है, तो वह अपने दाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग कर सकता है। यदि दोनों अंगूठे गायब हैं, तो तर्जनी से शुरू होने वाले बाएं हाथ की उंगलियों में से एक उंगली से निशान लिया जाना चाहिए। यदि बाएं हाथ की उंगलियां नहीं हैं, तो दाहिने हाथ की उंगलियों में से एक का अग्रभाग से शुरू होना चाहिए। यदि कोई भी उंगली उपलब्ध नहीं हैं, तो बाएं पैर की उंगली का निशान लिया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां बाएं अंगूठे का निशान अपलोड नहीं किया गया है, उम्मीदवार को अपलोड किए गए दस्तावेज़ में उंगली का नाम एवं बाएं/ दाएं हाथ अथवा पैर की अंगुली के विनिर्देश को निर्दिष्ट करना चाहिए)।

- एक हस्तलिखित घोषणा (नीचे दिया गया पाठ)। उक्त घोषणा उम्मीदवार के हाथ से अंग्रेजी में ही लिखी होनी चाहिए। यदि यह किसी और के द्वारा लिखा गया है एवं अपलोड किया गया है अथवा किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (ऐसे उम्मीदवार जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा के पाठ को टाइप करवा सकते हैं एवं टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं (यदि हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं हैं) एवं विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें) सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ इस विज्ञापन के अनुलग्नक । में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ इस विज्ञापन के अनुलग्नक । में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

ii. कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

iii. बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए एवं धब्बा नहीं होना चाहिए।

iv. हाथ से लिखी जाने वाली घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है –

"मैं, _______ (उम्मीदवार का नाम), एतद्वारा घोषित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही, सच्ची एवं वैध है। आवश्यकता पड़ने पर मैं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।"

v. उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार के हाथ से लिखी हुई एवं अंग्रेजी में होनी चाहिए एवं उसके लिए कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। यदि यह किसी एवं द्वारा अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा।

vi. आवश्यक आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के **ऑनलाइन भुगतान** के लिए आवश्यक विवरण/ दस्तावेज़ तैयार रखें।

vii. उम्मीदवार का अपना वैध ई मेल आई डी होना अनिवार्य है, जिसे भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने तक सक्रिय रखना अनिवार्य है। ई सी जी सी द्वारा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पंजीकृत ई मेल के जरिये भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार द्वारा अपने पंजीकृत ई मेल आई डी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करे। यदि किसी उम्मीदवार का व्यक्तिगत ई मेल आई डी न हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के पहले उसे बनाना होगा तथा उस ई-मेल खाते को बनाए रखना होगा।

प) लाइव फ़ोटोग्राफ़ कैप्चर:

i. उपरोक्त फ़ोटोग्राफ़ के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को वेबकैम या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके अपनी लाइव फ़ोटोग्राफ़ भी कैप्चर और अपलोड करनी होगी।

ii. "फ़ोटो कैप्चर करें" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवारों का वेबकैम सक्रिय हो जाएगा जिससे वे अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेंगे, जो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगी।

iii. "स्कैन करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवार अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके QR कोड स्कैन कर सकते हैं, जो उन्हें एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ़ क्लिक कर सकेंगे।

iv. ली गई तस्वीर का चयन करने पर, फ़ोटोग्राफ़ आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगा।

लाइव फ़ोटो कैप्चर के लिए क्या करें और क्या न करें

क्या करें:

क . सुनिश्चित करें कि फ़ोटो हल्के रंग की, अधिमानतः सफ़ेद पृष्ठभूमि पर ली गई हो और पर्याप्त रोशनी हो।

ख . वेबकैम/कैमरे की ओर सीधे देखें।

ग. फ़ोटोग्राफ़ पासपोर्ट आकार का होना चाहिए।

क्या न करें:

क. छोटे आकार की फ़ोटोग्राफ़ क्लिक/अपलोड न करें।

ख. रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी नहीं पहननी चाहिए।

ग. चेहरे पर छाया/कैमरे की ओर न होना/विकृत चेहरा/मास्क से ढका चेहरा/धुंधली छवि।

घ. अंधेरे में न ली गई तस्वीर/अनुचित पृष्ठभूमि

द) आवेदन शुल्क एवं सूचना प्रभार

दिनांक 11.11.2025 से 02.12.2025 तक, दोनों ही तारीखों सहित आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार(ऑनलाइन भुगतान) देय होंगे

-अनु जा/ अनु जन जा/ निशक्त उम्मीदवारों के लिए – **175**/- रु -**सूचना प्रभार**

-अन्यों के लिए – **950**/- रु - **आवेदन शुल्क के रूप में सूचना प्रभार सहित**

आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक संव्यवहार प्रभार को उम्मीदवारों को स्वयं वहन करना होगा।

ध) उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु 'संपादन विंडो'

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन भरा है और अपेक्षित शुल्क/सूचना शुल्क जमा कर दिया है, उनको ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार/संशोधन करने हेतु 2 दिनों की संपादन विंडो प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपेक्षित भुगतान करने पर अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति होगी। संपादन विंडो की तिथियां कंपनी की वेबसाइट पर यथासमय अधिसूचित की जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन के बाद 'संपादन विंडो' में केवल निम्नलिखित फ़ील्ड में दर्ज की गई प्राथमिकताओं/डेटा को बदलने की अनुमति होगी:

(1) परीक्षा केंद्र
(2) पिता का नाम
(3) माता का नाम
(4) 10वीं/12वीं का प्रतिशत

विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया अनुलग्नक-1 देखें।

'आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु उम्मीदवारों के लिए संपादन विंडो' की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/संशोधन/सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

न) <u>ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रक्रिया</u>

1) सर्वप्रथम उम्मीदवारों को ईसीजीसी के वेबसाइट www.ecgc.in पर जाना होगा तथा होम पेज पर "ईसीजीसी में कैरियर" लिंक खोलनी होगी तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलने के लिए "CLICK HERE TO APPLY ONLINE" विकल्प पर क्लिक करना होगा।

2) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी मूलभूत जानकारी की प्रविष्टि करते हुए अपने आवेदन को "CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION" पर पंजीकृत करना होगा। उसके बाद सिस्टम द्वारा प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड जनरेट होगा तथा स्क्रीन पर दिखेगा। प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड ई-मेल/ एस एम एस द्वारा भी भेजा जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो वे प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए अपना सेव किया गया विवरण पुनः खोल सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकते हैं।

3) उम्मीदवारों को अपलोड करना हैं
   -फोटोग्राफ
   -हस्ताक्षर

-बाएँ अंगूठे का निशान
-हस्तलिखित घोषणा

4) **उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को स्वयं ध्यान पूर्वक भरे जैसा कि ऑनलाइन आवेदन भरे गए विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन मान्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन को प्रस्तुत करने के पहले ऑनलाइन आवेदन में विवरणों के सत्यापन के लिए "SAVE AND NEXT" सुविधा का उपयोग करें। "COMPLETE REGISTRATION" बटन क्लिक करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। दृश्यांध उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे जाने वाले विवरणों के सत्यापन / विवरण भरे जाने तथा प्रस्तुति के पहले यह सुनिश्चित करने कि प्रस्तुति के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता नहीं है, के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे**

प) भुगतान की पद्धति

उम्मीदवार केवल आवश्यक शुल्क / सूचना प्रभार ऑनलाइन पद्धति से ही जमा करा सकते हैं:

i. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों ध्यानपूर्वक विवरण भरे तथा ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के अंत में "C अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर विवरण सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के अंत में "पंजीकरण पूर्ण करें" बटन पर क्लिक करना चाहिए। "पंजीकरण पूर्ण करें" बटन दबाने से पहले, अभ्यर्थियों को आवेदन में भरी गई प्रत्येक फ़ील्ड की जाँच करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थी या उसके पिता/पति आदि का नाम आवेदन में ठीक उसी प्रकार लिखा होना चाहिए जैसा कि प्रमाणपत्रों/अंकपत्रों में है। कोई भी परिवर्तन/संशोधन अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।

   यदि अभ्यर्थी एक बार में आवेदन पत्र नहीं भर पाता है, तो वह पहले से दर्ज डेटा को सहेज सकता/सकती है। डेटा सहेजे जाने पर, सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाते हुए एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा। वे अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को पुनः खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो विवरण संपादित कर सकते हैं। एक बार आवेदन पूरी तरह से भर जाने के बाद, उम्मीदवार को डेटा जमा करना चाहिए।

ii. आवेदन फॉर्म भुगतान गेटवे के साथ जुड़ा हुआ है तथा भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए पूरी की जा सकती है।

iii. स्क्रीन पर मांगी गयी जानकारी प्रदान करते हुए, भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/ वीसा/ मास्टर कार्ड/ मास्टरो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आई एम पी एस, कैश कार्ड/ मोबाईल वॉलेट से की जा सकती हैं।

iv. अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद, आवेदन पत्र का एक अतिरिक्त पृष्ठ प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अभ्यर्थी निर्देशों का पालन कर सकते हैं और अपेक्षित विवरण भर सकते हैं।

v. यदि ऑनलाइन संव्यवहार सफल रूप से पूर्ण नहीं हुआ है तो उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि अपने प्रावधानिक पंजीकरण सं तथा पासवर्ड के जरिये पुनः लॉग इन करें तथा आवेदन शुल्क / सूचना प्रभार की ऑनलाइन अदायगी करें।

vi. संव्यवहार की सफल पूर्ति पर एक ई रसीद प्राप्त होगी।

vii. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ई रसीद तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का का प्रिंट आउट ले लें जिसमें शुल्क विवरण उपलब्ध हों। कृपया नोट करें कि यदि ये जनरेट न हों तो समझ लें कि ऑनलाइन संव्यवहार सफल नहीं है।

नोट :

i. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपके भुगतान जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत कृपया सर्वर से प्राप्ति सूचना के लिए इंतज़ार करें, Back अथवा Refresh button न दबाएँ ताकि दोहरे चार्जेस को टाला जा सके।

ii. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अभी प्रभार भारतीय रु में होंगे। यदि आप गैर भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आपका बैंक मौजूदा विनिमय दरों पर आपकी स्थानीय मुद्रा को परिवर्तित करेगा।

iii. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जब आपका संव्यवहार समाप्त हो जाये तो अपने ब्राउज़र विंडो को बंद कर दीजिये।

iv. शुल्क के भुगतान/सूचना प्रभार सहित सभी ऑनलाइन समव्यवहारों को पूरा करने के उपरांत उम्मीदवार को सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले कर रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके तो भरे गए ऑन लाइन विवरण सही हैं तथा भावी संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड संभाल कर रखे। वे इस प्रिंट आउट को ई सी जी सी को न भेजे।

v. **कृपया नोट करें कि उम्मीदवार के नाम, श्रेणी, जन्म तारीख, पता, मोबाइल सं, ई मेल आई डी, परीक्षा का केंद्र आदि, सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा तथा ऑनलाइन फॉर्म की प्रस्तुति के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अतः उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन को काफी ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि इस संबंध में विवरणों में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। आवेदन फॉर्म में प्रदान किए जाने वाले विवरणों में कोई गलत अथवा अपूर्ण जानकारी भरने के कारण उत्पन्न परिणामों के लिए ई सी जी सी जिम्मेदार नहीं होगा।**

vi. आवेदन के सफल पंजीकरण पर सृजित पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड के साथ एक ईमेल/ एसएमएस सूचना उम्मीदवार के ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सिस्टम जनरेटेड पावती के रूप में भेजी जाएगी। यदि उम्मीदवारों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी/ मोबाइल नंबर पर ईमेल एवं एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे विचार कर सकते हैं कि उनके ऑनलाइन आवेदन को सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं किया गया है।

vii. <u>**कोई भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो किसी भी संबंध में जैसे आवेदन फॉर्म के साथ सही आकार का फोटोग्राफ अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना/ शुल्क अदायगी में असफलता को वैध नहीं माना जाएगा।**</u>

viii. **<u>उम्मीदवारों</u> को सूचित किया जाता है कि अपने हित के लिए अंतिम तारीख के काफी पहले ऑनलाइन आवेदन भर दें एवं शुल्क/ जानकारी प्रभार को जमा करने की अंतिम तारीख तक इंतज़ार न करें ताकि इंटरनेट / वेबसाइट पर बहुत अधिक भार पड़ने के कारण ई सी जी सी वेब साइट में लॉग ऑन करने पर जाम लग जाने से बचा जा सके।**

ix. **उक्त कारण से अथवा किसी अन्य कारण जो ई सी जी सी के नियंत्रण के बाहर हो, के फलस्वरूप यदि कोई उम्मीदवार अंतिम तारीख तक ऑनलाइन आवेदन भर पाने में असमर्थ हो तो ई सी जी सी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।**

x. **<u>कृपया</u> नोट करें कि आवेदन के लिए मात्र उक्त प्रक्रिया ही वैध प्रक्रिया है। आवेदन करने की कोई अन्य प्रक्रिया अथवा अपूर्ण अवस्था मान्य नहीं होगी तथा इस प्रकार के आवेदनों को नामंज़ूर किया जा सकता है।**

xi. **<u>आवेदक</u>** द्वारा अपने आवेदन में दी गयी कोई भी जानकारी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी तथा यदि भर्ती के बाद की अवस्था में उनकी जानकारी अपूर्ण अथवा गलत पायी गयी तो उन पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

फ) सामान्य निर्देश

1) **उम्मीदवारों को <u>अनिवार्यतया</u> ऑनलाइन परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के समय आवश्यक दस्तावेज़, जैसे वैध आमंत्रण पत्र, फोटो प्रमाण पत्र जिसमें नाम उसी अनुसार हो जैसा कि प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आवेदन में है, प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा से पहले अथवा बाद में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी दस्तावेज सीधे ईसीजीसी को नहीं भेजा जाएगा।**

2) पद हेतु आवेदन के पहले उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्होने इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता तथा अन्य मानदंड पूरे किए हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

3) **परीक्षा / साक्षात्कार / तथा बाद की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार का प्रवेश पूर्ण रूप से अनंतिम होगा। उम्मीदवार के लिए जारी मात्र आमंत्रण पत्र (त्रों)/ अनंतिम आबंटन का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे ई सी जी सी द्वारा नियुक्त कर लिया गया है। ई सी जी सी को अधिकार है कि वह यह दर्शाते हुए, प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन को नामंज़ूर कर सकता है, उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है कि उम्मीदवार ने पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया है तथा/ अथवा उन्होने गलत/ असत्य/ जानकारी/ प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ प्रस्तुत किए है अथवा आवश्यक तथ्यों को छुपाया है। यदि किसी भी कारण स्वरूप इस विज्ञापन के निबंधनों व शर्तों के अनुसार उम्मीदवार की उम्मीदवारी को नामंज़ूर किया जाता है तो इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि,कंपनी में नियुक्ति के बाद, उपरोक्त में से कोई भी कमियाँ पाई जाती हैं तो बिना किसी सूचना के उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएंगी।**

4) योग्यता तथा अन्य पात्रता मानदंडों, परीक्षा तथा साक्षात्कार के उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की जांच, सत्यापन आदि तथा भर्ती प्रक्रिया से संबन्धित कोई मामले में जहां उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में जांच

की जाती है वहाँ कंपनी का निर्णय अंतिम व उम्मीदवार के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में ई सी जी सी द्वारा किसी भी पत्राचार अथवा व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं दिया जाएगा।

5) **सुनिश्चित किया जाये कि उम्मीदवार द्वारा लाया गया स्क्राइब स्वयं भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार न हो। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उक्त उल्लंघन पाया जाये तो भर्ती प्रक्रिया के लिए दोनों की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा तथा स्क्राइब को रद्द कर दिया जाएगा।**

6) **उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। यदि किसी उम्मीदवार से एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं तो नवीनतम वैध (पूर्ण रूप से भरा गया) माना जाएगा तथा बहु पंजीकरणों के लिए अदा किए गए आवेदन शुल्क/ सूचना चार्जेस को ज़ब्त कर लिया जाएगा।**

7) **<u>ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार में बहु उपस्थिती को नामंज़ूर किया जाएगा तथा उम्मेदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।</u>**

8) एक बार पंजीकृत किए गए ऑनलाइन आवेदन को वापस लिया जाना मान्य नहीं होगा तथा / अथवा अदा किए गए आवेदन शुल्क/ सूचना चार्जेस को वापस नहीं लौटाया जाएगा अथवा किसी अन्य परीक्षा के लिए नहीं रखा जाएगा।

9) भर्ती प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन संबन्धित कोई भी विवाद मात्र मुंबई में स्थित नयायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

10) **किसी भी प्रकार का कैनवसिंग अथवा प्रभाव स्थापित करने का प्रयास भर्ती प्रक्रिया से अपात्रता का कारण बन सकता है।**

11) **ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए दिनांक, समय एवं स्थान परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पते, ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित विवरणों में परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।**

12) यदि इस विज्ञापन के अँग्रेजी के अलावा किसी भी वर्जन में उल्लिखित शर्तों के विवेचन के कारण उत्पन्न विवादों के मामले में कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध अँग्रेजी वर्जन ही मान्य होगा।

13) उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उनके आमंत्रण पत्रों, उपस्थिती पत्र आदि तथा भविष्य कंपनी के साथ किए जाने वाले पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए, किसी भी प्रकार असंगति मान्य नहीं होगी। CAPITAL LETTERS में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

14) **उम्मीदवार द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में हाल ही का पहचानने योग्य फोटोग्राफ (4.5 सें मी X 3.5 सें मी) अपलोड किया जाये तथा उम्मीदवार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उसके पास उनकी पर्याप्त प्रतियाँ है जिनका उपयोग प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में किया जाएगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रक्रिया पूरी होने तक अपना हुलिया न बदलें। प्रक्रिया के किसी भी चरण में उसी फोटोग्राफ को प्रस्तुत कर पाने में असमर्थता अथवा किसी भी चरण में उनकी पहचान पर शंका से उन्हें अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।**

15) परीक्षा के प्रबंधन में किसी भी समस्या के उत्पन्न होने की संभावना को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता जिससे परीक्षा का आयोजन तथा/ अथवा परिणाम की घोषणा प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामले में इस प्रकार की समस्या के निवारण का हर संभव उपाय किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, परीक्षा में विलंब आदि भी शामिल हो सकता है। पुनः परीक्षा लेने का विकल्प पूर्ण रूप से ई सी जी सी के विवेकाधीन होगा। उम्मीदवारों के पास पुन: परीक्षण के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा

वितरण की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अथवा भाग लेने के इच्छुक नहीं होने वाले उम्मीदवारों को प्रक्रिया से तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

16) बाहर के पात्र उम्मीदवारों के लिए निकटतम मार्ग से यात्रा के लिए सबूत प्रस्तुत करने (रेल/ बस की टिकटें) पर आने व वापसी के द्वितीय श्रेणी ए सी रेल/ बस के वास्तविक किराए, इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

17) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे किसी के साथ अपने आवेदन विवरणों को साझा न करें।

18) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की घोषणा इस विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार ई सी जी सी की अन्य आवश्यकताओं के अनुसार तथा चिकित्सकीय रूप से ठीक पाये जाने तथा कंपनी की सेवा तथा आचरण नियमों के अधीन होगी।

19) **जानकारी, भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पंजीकृत ई-मेल आईडी तथा मोबाइल संख्या पर ही ईमेल तथा / अथवा एस एम एस के जरिये भेजी जाएगी।**

20) मोबाइल संख्या, ई मेल पते, तकनीकी खराबी अथवा कंपनी के नियंत्रण के परे कोई अन्य कारण से यदि उम्मीदवार को जानकारी प्राप्त न हो तो ई सी जी सी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी तथा **उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे प्राधिकृत ई सी जी सी वेब साइट www.ecgc.in पर नवीनतम अपडेटों पर नज़र रखें।**

21) **यदि चयन प्रक्रिया अथवा भर्ती के बाद के चरण में, उम्मीदवार की हस्तलिखित घोषणा पर लिखावट अथवा फोटोग्राफ अथवा बायोमेट्रिक्स को अलग/ अलग पाया जाता है, तो विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार, उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्ति के बाद इनमें से किसी भी कमी का पता चलता है, तो उसकी सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।**

22) ई सी जी सी को अधिकार है कि वह मानदंडों, चयन पद्धति तथा अनंतिम आबंटनों आदि में संशोधन (रद्द/ संशोधन/ शामिल) कर सकता है।

भ) अनाचरण / गलत पद्धति से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्यवाही

(1) उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित के लिए सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय झूठे, गलत विवरण प्रस्तुत न करें तथा कोई आवश्यक जानकारी न छुपाएँ।

(2) ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार या तत्पश्चात बाद के चयन प्रक्रिया के समय यदि उम्मीदवार निम्न के कारण दोषी पाया गया /यी :

(i) अनुचित प्रयास करते हुए, अथवा
(ii) किसी अन्य व्यक्ति के नाम अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर परीक्षा में उपस्थित रहना, अथवा
(iii) परीक्षा/ साक्षात्कार कक्ष में अनाचरण करते हुए अथवा परीक्षा की विषय वस्तु से संबन्धित कोई अन्य आंशिक अथवा पूरी जानकारी को प्रकट करते ,प्रकाशित करते, ट्रांसमीट करते, छिपाते हुए, अथवा ट्रांसमिशन तथा छिपाने में सहायता करने अथवा किसी अन्य उद्देशय से मौखिक, अथवा लिखित, इलेक्ट्रोनिकली अथवा मेकैनिकली परीक्षा से संबन्धित जानकारी उजागर करने हेतु, अथवा
(iv) उनकी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अन्य अनियमित अथवा अनुचित कार्य करते हुए, अथवा
(v) अपने उम्मीदवारी के लिए अनुचित समर्थन प्राप्त करते हुए, अथवा
(vi) परीक्षा/ साक्षात्कार कक्ष में सम्प्रेषण उपकरण ले जाने पर, उम्मीदवार आपराधिक मुकदमे के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराते हुए निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:
(vii) परीक्षा के संचालन में बाधा डालना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना;

(viii) परीक्षा/प्रश्नपत्र संबंधी सामग्री के स्नैपशॉट लेना, वीडियो बनाना आदि;

(ix) उपर्युक्त गतिविधियाँ और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय कोई भी झूठा, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण प्रस्तुत करना और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना, अभ्यर्थी पर न केवल आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, बल्कि वह निम्न के लिए भी उत्तरदायी होगा:

(क) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिए वह अभ्यर्थी है।

(ख) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह पहले ही ईसीजीसी में शामिल हो चुका है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

(3) 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 और उसमें बनाए गए नियम' के प्रावधान अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल अभ्यर्थियों पर लागू होंगे। अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित अभ्यर्थी संबंधित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के विद्यमान प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत आते रहेंगे। अधिनियम में शामिल अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अतिरिक्त संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय होंगे।

(4) ईसीजीसी को अन्य भर्ती एजेंसियों की जानकारी के लिए परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों/लेखकों की सूची साझा करने का अधिकार सुरक्षित है।

महत्वपूर्ण: ईसीजीसी लिमिटेड सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के उत्तरों का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो ईसीजीसी लिमिटेड संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी बिना किसी सूचना के रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे उम्मीदवारों (अयोग्य) का परिणाम रोक दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।उम्मीदवार को उनके द्वारा उपस्थित होने वाली परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

<u>म) आमंत्रण पत्र</u>

ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के लिए केंद्र, स्थल का पता, तिथि और समय संबंधित कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा।

पात्र उम्मीदवार अपने आमंत्रण पत्र को अपने विवरण यथा पंजीकरण सं तथा पास वर्ड / जन्म तारीख की प्रविष्टि करते हुए ई सी जी सी वेब साइट www.ecgc.in से डाउन लोड कर सकते हैं। पोस्ट / कूरियर द्वारा कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब के लिए आमंत्रण पत्र : मुख्य परीक्षा के लिए स्क्राइब हेतु अतिरिक्त आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा।

<u>सूचना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पंजीकृत ई मेल आई डी तथा मोबाइल संख्या पर ही ईमेल तथा / अथवा एस एम एस के जरिये भेजी जाएगी।</u> मोबाइल संख्या, ई मेल पते, तकनीकी खराबी अथवा कंपनी के नियंत्रण

के परे कोई अन्य कारण से यदि उम्मीदवार को जानकारी प्राप्त न हो / देरी से प्राप्त हो तो ई सी जी सी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे आगे दिशानिर्देशों के लिए प्राधिकृत ई सी जी सी वेब साइट www.ecgc.in पर नवीनतम अपडेटों पर नज़र रखें साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय समय पर अपने पंजीकृत ई मेल को जाँचते रहें।

य) घोषणाएँ :

समय समय पर इस प्रक्रिया से संबन्धित सभी घोषणाएँ / विवरण ई सी जी सी के प्राधिकृत वेब साइट www.ecgc.in पर ही प्रकाशित/ प्रदान किए जाएँगे।

र) अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया में किसी भी अवस्था में यदि अपूर्ण जानकारी तथा/ अथवा उम्मीदवार द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन पाया तो उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया जाएगा तथा उन्हें भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया में इस प्रकार की घटनाएँ सामने नहीं आई परंतु बाद में ज्ञात हुई तो बाद में पूर्व तारीख से अयोग्य सिद्ध करते हुए उम्मीदवार को निलंबित कर दिया जाएगा। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया से संबन्धित म प्र (मासंवि), ई सी जी सी लिमिटेड द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण / निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होंगे।

ईसीजीसी लिमिटेड के पास बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपरोक्त भर्ती को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

मुंबई **म.प्र.(मा.सं.वि.)**

ईसीजीसी लिमिटेड

<u>अनुलग्नक I</u>

दस्तावेज़ों को स्कैन करने एवं अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

- ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन की हुई (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।
- कृपया ध्यान दें कि जब तक तस्वीरें और हस्ताक्षर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं होंगे, तब तक सिस्टम उम्मीदवार को आवेदन के अगले चरण में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा।

फोटोग्राफ ईमेज : (4.5cm × 3.5cm)

i. फोटोग्राफ हाल का रंगीन पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ होना चाहिए।
ii. सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो, उसका बैक ग्राउंड हल्के रंग का हो, मुख्य रूप से सफ़ेद हो;
iii. सीधा देखें, चेहरे पर परेशानी न हो;
iv. यदि तेज़ सूरज की रोशनी में फोटो लिया गया हो तो सुनिश्चित करें कि सूरज आपके पीछे हो अथवा स्वयं को छाँव में रखें ताकि आपकी आँखें बंद होने से बचें एवं चेहरे पर तीव्र रोशनी न पड़े।
v. यदि आपने फ्लैश का उपयोग किया है तो सुनिश्चित करें कि आँखें “लाल” न हों;
vi. यदि आप चश्मा लगाते हैं तो सुनिश्चित करें कि चश्मे पर किसी प्रकार की परछाई न पड़े एवं आपकी आँखें साफ दिखें;
vii. कैप, हैट एवं डार्क ग्लासेस का उपयोग मान्य नहीं हैं। धार्मिक पगड़ी स्वीकार्य है परंतु आपका चेहरा साफ दिखना चाहिए;
viii. 200 x 230 पिक्सेल डाइमेनशन (स्वीकार्य)
ix. 20kb–50 kb के बीच की फाइल का आकार हो;
x. सुनिश्चित करें कि स्कैंन्ड इमेज का आकार 50kb से अधिक न हो। यदि फाइल का आकार 50kb से अधिक हो तो

स्कैनिंग के समय डी पी आई रेजोल्यूशन, रंगों की सं आदि की स्कैनर की सेटिंग्स को अडजेस्ट करें;

फ़ोटोग्राफ़ कैप्चर:

उपरोक्त फ़ोटोग्राफ़ के अलावा, उम्मीदवारों को वेबकैम या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके अपनी लाइव फ़ोटोग्राफ़ भी कैप्चर और अपलोड करनी होगी:

क. "फ़ोटो कैप्चर करें" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवारों का वेबकैम सक्रिय हो जाएगा जिससे वे अपनी तस्वीर क्लिक कर सकेंगे, जो आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगी।

ख. "स्कैन करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प चुनने पर, उम्मीदवार अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, जो उन्हें एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, जिससे वे अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ़ क्लिक कर सकेंगे। ली गई तस्वीर चुनने पर, फ़ोटोग्राफ़ आवेदन पत्र में स्वतः अपलोड हो जाएगा।

फ़ोटो कैप्चर के लिए क्या करें और क्या न करें:

क्या करें:

सुनिश्चित करें कि फ़ोटो हल्के रंग की, अधिमानतः सफ़ेद पृष्ठभूमि पर ली गई हो और पर्याप्त

रोशनी हो।
वेबकैम/कैमरे की ओर सीधे देखें।
फ़ोटो पासपोर्ट आकार का होना चाहिए।

क्या न करें

छोटे आकार की फ़ोटोग्राफ़ क्लिक/अपलोड न करें।
रंगीन चश्मा या धूप का चश्मा/टोपी नहीं पहननी चाहिए।
चेहरे पर परछाईं/कैमरे की ओर मुँह न करना/विकृत चेहरा/मास्क से ढका चेहरा/धुंधली छवि।
अंधेरे में नहीं ली गई तस्वीर/अनुचित पृष्ठभूमि

xi. हस्ताक्षर एवं:

o आवेदक को काले रंग के स्याही के पेन से सफ़ेद पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा;
o 140 x 60 पिक्सेल डायमेंशन (अधिमान्य)
o 10kb – 20kb के बीच का आकार;
o स्कैंड इमेज का आकार 20kb से अधिक न हो;

xii. बाएँ हाथ के अंगूठे के निशान

o आवेदक को काली अथवा नीली स्याही से अपने बाएँ हाथ के अंगूठे के नमूने को सफ़ेद पेपर पर नमूना लगाना होगा;
o फाइल प्रकार: jpg / jpeg
o डायमेंशंस: 200 DPI में 240 x 240 पीक्सेल्स (आवश्यक क्वालिटी के लिए मान्य) यथा. 3 सें मी * 3 सें मी (चौड़ाई * ऊंचाई)
o फाइल आकार: 20 KB – 50 KB

नोट: यदि किसी उम्मीदवार के बाएँ हाथ का अंगूठा नहीं है, तो वह अपने दाएँ हाथ के अंगूठे का उपयोग कर सकता/सकती है। यदि दोनों अंगूठे गायब हैं, तो बाएँ हाथ की तर्जनी से शुरू करते हुए किसी एक उंगली का निशान लिया जाना चाहिए। यदि बाएँ हाथ में कोई उंगली नहीं है, तो दाएँ हाथ की तर्जनी से शुरू करते हुए किसी एक उंगली का निशान लिया जाना चाहिए। यदि कोई उंगली उपलब्ध नहीं है, तो बाएँ पैर के अंगूठे का निशान लिया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहाँ बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड नहीं किया गया है, उम्मीदवार को अपलोड किए गए दस्तावेज़ में उंगली का नाम और बाएँ/दाएँ हाथ या पैर के अंगूठे का विवरण बताना चाहिए।

हस्तलिखित घोषणा चित्र:

i. आवेदक को श्वेत पत्र पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी।
ii. फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg
iii. आयाम: 200 DPI में 800 x 400 पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए उपयुक्त) अर्थात 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊँचाई)
iv. फ़ाइल आकार: 50 KB – 100 KB
v. नोट: हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की हस्तलिपि में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। पाठ बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए। यदि यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है और अपलोड किया गया है या किसी अन्य भाषा में है, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा। (जो उम्मीदवार लिख नहीं सकते, वे घोषणा के उस पाठ

को टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (यदि हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं) लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं)।

दस्तावेज़ों की स्कैनिंग :

o स्कैनर रेजोल्यूशन को कम से कम 200 dpi (dots per inch) पर रखें;

o रंग को ट्रू कलर पर रखें;

o फाइल का आकार उक्त अनुसार हो;

o फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे के निशान / हाथ से लिखित घोषणा के किनारे पर स्कैनर में इमेज को क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम आकार (ऊपर अनुसार) के आधार पर अपलोड एडिटर का उपयोग करें;

o इमेज फ़ाइल JPG अथवा JPEG प्रारूप का होना चाहिए। उदाहरण; एक फ़ाइल का नाम है: image01.jpg अथवा image01.jpeg,

फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके अथवा फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर इमेज आया मों की जाँच की जा सकती है।

o MS Windows / MSOffice का उपयोग करने वाले उम्मीदवार MS Paint अथवा MSOffice Picture Manager का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को फ़ाइल मेनू में 'सेव ऐज़ 'विकल्प का उपयोग करके .jpg / .jpeg प्रारूप में सेव किया जा सकता है। आकार को बदलने के लिए रीसाइज़ विकल्प का उपयोग किया जा सकता है;

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

o ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान एवं हाथ से लिखे गए नामांकन को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किया जाएगा।

o "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें / बाएं अंगूठे के निशान को अपलोड करें / हाथ से लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें;

o जहां स्कैन की गई तस्वीर / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखी गई घोषणा फ़ाइल को सेव किया गया है उस स्थान को ब्राउज़ एवं चयन करें;

o फ़ाइल का चयन करने के लिए उस पर क्लिक करें;

o ओपन / अपलोड 'पर क्लिक करें

o यदि फ़ाइल का आकार एवं प्रारूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

o अपलोड किए गए इमेज की पुनर्जाञ्च करने से इमेज की क्वालिटी की पहचान में मदद मिलेगी। अस्पष्ट / स्मज्ड होने की स्थिति में, उसी को फिर से अपेक्षित स्पष्टता / गुणवत्ता में अपलोड किया जा सकता है।

o **जब तक आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान एवं निर्धारित अनुसार हाथ से लिखी गई घोषणा को अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा।**

उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु 'संपादन विंडो':

उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु 'संपादन विंडो'। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार/संशोधन करने हेतु 3 दिनों की संपादन विंडो प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में

आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति होगी। संपादन विंडो की तिथियां कंपनी की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएंगी।

उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु 'संपादन विंडो' से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:
1. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति होगी, जिन्होंने आवेदन पंजीकरण की निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक शुल्क/सूचना शुल्क के भुगतान के साथ अपना पूरा ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा कर दिया हो।

2. उम्मीदवार को 'आवेदन पत्र में संशोधन/सुधार हेतु संपादन विंडो' के दौरान केवल एक बार संशोधित/सुधारित आवेदन को सुधारने और पुनः जमा करने की अनुमति होगी, अर्थात यदि उम्मीदवार अद्यतन आवेदन में कोई गलती करता है तो उसे अद्यतन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधित आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है।
3. उम्मीदवारों द्वारा मूल आवेदन में 'नाम', 'ईमेल आईडी', 'मोबाइल नंबर', रिक्ति में 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र', पत्राचार पते में 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र' और 'स्थायी पता', 'पद' के लिए प्रस्तुत किया गया डेटा। 'श्रेणी' और 'राष्ट्रीयता' फ़ील्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
4. 'संपादन विंडो' के माध्यम से आवेदन पत्र को संशोधित/सुधारने के लिए लागू शुल्क ₹200/- (जीएसटी सहित) है। सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनकी श्रेणी कुछ भी हो। एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा में समायोजित किया जाएगा।
5. लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन, केवल नवीनतम संशोधित आवेदन ही मान्य माना जाएगा।
6. एक से अधिक आवेदनों के मामले में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल नवीनतम आवेदन को ही संपादित करें।
7. लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अधीन, केवल नवीनतम संशोधित आवेदन ही वैध माना जाएगा।

8. 'उम्मीदवारों के लिए आवेदन पत्र संशोधित/सही करने हेतु संपादन विंडो' की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/संशोधन/सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट:
(1) यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे के निशान या हस्तलिखित घोषणा/प्रमाणपत्र में चेहरा अस्पष्ट/धुंधला है, या फोटो और/या हस्ताक्षर के स्थान पर अपलोड नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी। ऐसे मामले में शुल्क/सूचना शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा/प्रमाणपत्र अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि चित्र स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा या प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से दिखाई

नहीं दे रहा है, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संपादित कर सकता है और फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा या प्रमाण पत्र पुनः अपलोड कर सकता है।

(3) उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किया जाने वाला फोटो आवश्यक आकार का हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(5) यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो परीक्षा में प्रवेश अस्वीकृत/अस्वीकार कर दिया जाएगा, उम्मीदवार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा।

(6) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और धुंधले/धुंधले नहीं हैं।

(7) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम द्वारा जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

<u>अनुलग्नक-II</u>

<u>उम्मीदवार का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होने के दावे के प्रमाण के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र</u>

1. यह प्रमाणित किया है कि --------------------------- गाँव / कस्बे -------------------------------- जिला / मंडल _______________ राज्य / संघ शासित क्षेत्र--------------------------------------- के श्री / श्रीमती / कुमारी _________________________ श्री ------------------------------ के पुत्र / पुत्री ___________ जाति / जनजाति से संबंधित है। इसे निम्नलिखित के आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है :

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950;
* संविधान (अनुसूचित जाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूचियों के अनुसार) आदेश, 1956; बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 एवं गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987।]:

* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
* संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित
जनजाति आदेश, 1959 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित द्वारा संशोधित
ट्राइब्स ऑर्डर्स (संशोधन) अधिनियम, 1976;
* संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
* संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964;
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
* संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968,;
* संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
* संविधान (एसटी) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991;
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996;
* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002;

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002]।

2 एक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से पलायन कर दूसरे क्षेत्र में गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, पर लागू।
यह प्रमाणपत्र, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ------------------- में स्थित , ग्राम / कस्बा ------------------------ ज़िला / प्रभाग -------------------------- के श्री / श्रीमती / कुमारी ------------------------------ के पिता / माता ---------------------------- श्री / श्रीमती / कुमारी ------------------------------ को जारी किया गया है जो कि --------------------- जाति / जनजाति में शामिल हैं को आदेश सं ------------------- दिनांक ------------------ के जरिये ---------------------------- (प्राधिकारी का नाम) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है।
3.श्री / श्रीमती / कुमारी ---------------------------- तथा / या उनका परिवार सामान्यतया राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश --------------------- के ज़िला / प्रभाग ----------------------- के ग्राम / कस्बा के निवासी हैं

हस्ताक्षर ___________________
पदनाम _________________

स्थान : [कार्यालयीन मोहर के साथ]
दिनांक : राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश

नोट: यहाँ प्रयुक्त शब्द "साधारण रूप से रहता है" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

----

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें.
# जो पैरा लागू न हो उसे काट दें.

<u>जाति / जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारियों की सूची:</u>
1. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / आई क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा-असिस्ट आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. तहसीलदार व उससे उच्च पद वाले राजस्व अधिकारी।
4. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार एवं / अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

नोट: प्रमाण पत्र समय-समय पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन / संशोधन के अधीन है

<u>अनुलग्नक III</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________________________ पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती* ______________________, ग्राम/कस्बा* _________________________ जिला/मंडल* ________________________, राज्य _________________________ में _________________________ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:

(i) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी(सी) दिनांक 10/09/93, भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित।

(ii) संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94, भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित।

(iii) संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95, भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित।

(iv) संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 09/03/96।

(v) संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 06/12/96, भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित।

(vi) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97।

(vii) संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97।

(viii) संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99।

(ix) संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 06/12/99 भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित।

(x) संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 04/04/2000 भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित।

(xi) संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21/09/2000 भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित।

(xii) संकल्प संख्या 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 06/09/2001।

(xiii) संकल्प संख्या 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 19/06/2003।

(xiv) संकल्प संख्या 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004।

(xv) संकल्प संख्या 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006 भारत के राजपत्र असाधारण भाग। खंड। संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित।
(xvi) संकल्प संख्या 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 12/03/2007 भारत के राजपत्र असाधारण भाग। खंड। संख्या 67 दिनांक 12/03/2007 में प्रकाशित।

(xvii) संकल्प संख्या 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18/08/2010।

(xviii) संकल्प संख्या 12015/13/2007-बीसीसी दिनांक 08/12/2011।

श्री/श्रीमती/कुमारी ________________________________ और/या उनका/उनकी ... संख्या 36012/22/93-स्था.[एससीटी], दिनांक 08/09/93, जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था.(निवास) दिनांक 09/03/2004 द्वारा संशोधित किया गया है, तथा आगे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004- स्था.(निवास) दिनांक 14/10/2008 या भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

दिनांक:

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी
मुहर

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते।
नोट:
(क) यहाँ प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास करता है' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
(ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:
(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे नहीं हो और
(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है।
नोट: निर्धारित प्रोफार्मा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा।

अनुलग्नक IV

.... सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम व पता)

आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय व आस्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं . ...

दिनांक : ....

वर्ष के लिए वैध ....

प्रमाणित किया जाता है कि इसके साथ संलग्न फोटो में दर्शाये गए श्री / श्रीमती / कुमारी , श्री ----------------------------- के पुत्र / पुत्री / पत्नी , ग्राम / मार्ग ------------------------ पोस्ट ऑफिस ---------------------------- ज़िला ------------------------ राज्य / केंशाप्र------------------------ पिन कोड ----------------- के स्थायी निवासी हैं , एवं ये आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं तथा वित्तीय वर्ष -------------- के लिए जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रु (आठ लाख रु) से कम है । उनके परिवार के पास निम्नलिखित आस्तियों*** में से कुछ उपलब्ध नहीं हैं

I. 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि योग्य भूमि

II. 1000 स्क्वेयर फीट अथवा उससे अधिक का आवासीय फ्लैट

III. मान्यता प्राप्त नगरपालिकाओं में 100 स्क्वेयर अथवा ड अथवा उससे अधिक का आवासीय प्लॉट

IV. मान्यता प्राप्त नगरपालिकाओं के अतिरिक्त कहीं स्थलों में 200 स्क्वेयर अथवा ड अथवा उससे अधिक का आवासीय प्लॉट

2. श्री / श्रीमती / कुमारी ----------------------, ---------------------- जाति से संबन्धित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी जाति (केन्द्रीय सूची) के अधीन मान्यता प्राप्त नहीं है।

मोहर सहित कार्यालय का नाम व हस्ताक्षर

नाम ----------------

पदनाम ---------------------

व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

* नोट 1: आय में सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं ।

** नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण चाहता है, एवं उस के माता-पिता, पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन एवं 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे शामिल हैं।

*** नोट 3: ई डबल्यू एस स्थिति के निर्धारण के लिए स्थित " परिवार" के स्वामित्व वाली भूमि अथवा संपत्ति के स्वामित्व विभिन्न क्षेत्रों अथवा स्थानों / शहरों में संपत्ति को परीक्षण में शामिल किया गया है।

नोट :-

" निम्न में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा केवल उक्त उल्लिखित अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं आस्ति प्रमाण पत्र को ही उम्मीदवार का " ई डबल्यू एस में शामिल " होने का दावा के रूप में मान्य होगा।

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट,

(iii) तहसीलदार के पद एवं उससे उच्च पद वाले राजस्व अधिकारी

(iv) उप-विभागीय अधिकारी अथवा वह क्षेत्र जहाँ सामान्य रूप से उम्मीदवार एवं / अथवा उसका परिवार रहते हैं।

<u>अनुलग्नक V</u>

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(एकल दिव्यंगता के मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाणपत्र/यूडीआईडी संख्या: जारी करने की तिथि:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने पुत्र/पुत्री/पालक <पिता/माता/अभिभावक का नाम>, जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष), लिंग <पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर>, पंजीकरण संख्या, निवासी <दिव्यांगजन का पता>, जिसकी तस्वीर ऊपर चिपकाई गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं/हम संतुष्ट हैं कि: (ए) वह (निम्नलिखित में से किसी एक दिव्यांग्ता) का मामला है:

i. गति दिव्यांग्ता
ii. पेशी दुर्विकास
iii. कुष्ठ रोग ठीक हो गया
iv. बौनापन
v. मस्तिष्क पक्षाघात
vi. तेजाब हमले का शिकार
vii. कम दृष्टि
viii. अंधापन
ix. श्रवण बाधित
x. वाक् और भाषा दिव्यांग्ता
xi. बौद्धिक दिव्यांग्ता
xii. विशिष्ट अधिगम दिव्यांग्ता
xiii. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार
xiv. मानसिक रोग
xv. दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ
xvi. मल्टीपल स्क्लेरोसिस xvii. पार्किंसंस रोग
xviii. हीमोफीलिया
xix. थैलेसीमिया
xx. सिकल सेल रोग

(B) प्रभावित अंग का नाम:
(C) उसके मामले में निदान _____________ है

(D) उसे __________% (अंक में) ______________ प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांग्ता है और प्रमाण पत्र की प्रकृति {स्थायी/अस्थायी और (DD/MM/YYYY) तक वैध} है, जो भारत सरकार द्वारा दिनांक (DD/MM/YYY) को अधिसूचित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट दिव्यांग्ता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों के अनुसार है।

दिव्यांगजन के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण सदस्य/सदस्यों के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकरण का नाम और पता:

भारत सरकार का लोगो,	**दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो,**	**संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोगो**

अनुलग्नक VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(बहु दिव्यांगता के मामले में)
(समय-समय पर संशोधन के अधीन निर्धारित प्रोफ़ार्मा)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाणपत्र/यूडीआईडी संख्या:

जारी करने की तिथि:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ____________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ____________________ जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) _____________ आयु __________ वर्ष, लिंग पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर__________ पंजीकरण संख्या ________________________ यूडीआईडी नामांकन संख्या मकान संख्या_______ वार्ड/गांव/गली ___________________________ डाकघर _________________________ जिला _________ राज्य ___________ का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और हम संतुष्ट हैं कि:

(ए) वह एक बहु-दिव्यांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक दुर्बलता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में निर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना संख्या> दिनांक (दिन/माह/वर्ष) के अनुसार नीचे दी गई दिव्यांगता ओं के लिए:

क्रम संख्या	दिव्यांगता	प्रभावित शरीर के अंग का नाम	निदान	दिव्यांगता प्रतिशत
1.	गतिमान दिव्यांगता @			
2.	पेशी दुर्बलता			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			

6.	तेजाब हमले का शिकार			
7.	कम दृष्टि #			
8.	अंधापन #			
9.	बधिर £			
10.	कम सुनने की क्षमता £			
11.	वाणी और भाषा दिव्यांग्ता			
12.	बौद्धिक दिव्यांग्ता			
13.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांग्ता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां			
17.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(नोट: केवल निदान की गई दिव्यांग्ता ओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा)

(बी) उसकी समग्र दिव्यांग्ता ___________________% (अंक में) ____________________ प्रतिशत (शब्दों में) है और प्रमाण पत्र की प्रकृति {स्थायी/अस्थायी और (दिन/माह/वर्ष) तक वैध} है।

दिव्यांग व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:
अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्यों के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:
प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

<u>अनुलग्नक VII</u>

दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(फॉर्म V एवं VI में उल्लिखित मामलों के अलावा)
(समय-समय पर संशोधन के अधीन निर्धारित प्रोफ़ार्मा)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाण पत्र सं : दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इनकी ध्यानपूर्वक जांच की है ;

ऊपर संलग्न फोटो में दिखने वाले श्री / श्रीमती। / कुमारी -------------------------------- श्री------------------------------- के पुत्र / पत्नी / पुत्री , जन्म तारीख (दि / मा / वर्ष) -------------------------- आयु ------------------------, पुरुष / महिला ----------------- पंजीकरण सं ----------------------- वार्ड / ग्राम / मार्ग ----------------- , पोस्ट ऑफिस ------------------------------- राज्य ----------------के निवास सं ---------------------- के स्थायी निवासी हैं एवं मैं पुष्टि करता हूँ कि इनका मामला ---------------------------- दिव्यांगता का मामला है। उनकी शारीरिक दुर्बलता / दिव्यांगता का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के आधार पर किया गया है (----------------------- सं एवं तारीख को जारी दिशानिर्देशों के आधार पर) एवं जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाये संगत दिव्यांगता पर दर्शाया गया है:

क्र सं	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावी हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक कमजोरी / मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांग्ता	@		
2	मांसपेशीय दुर्विकास			
3	निवारित कुष्ठ रोग			
4	मस्तिष्क पक्षाघात			
5	एसिड अटैक विक्टिम			
6	कम दृष्टि			
7	बहरा	#		
8	सुनने में दिक्कत	#		
9	भाषण एवं भाषा दिव्यांग्ता	€		
10	बौद्धिक अक्षमता	€		
11	विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी			

12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर			
13	मानसिक बीमारी			
14	जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	परकिनसन्स रोग			
17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(कृपया उस दिव्यांगता को काट दें जो लागू नहीं है।)

2. उक्त स्थिति प्रगतिशील / गैर-प्रगतिशील / सुधार की संभावना / सुधार की संभावना नहीं।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं,

या

(ii) ------------------------- वर्षों --------------------------- माहों के पश्चात सिफ़ारिश की जाती है अतः यह प्रमाणपत्र --------------------- (दि / ता/ वर्ष) तक वैध है।

@ - उदा बाएँ / दायें / दोनों हाथ / पैर

- उदा एक आँख / दोनों आँखें

£ - उदा – बाएँ / दायें / दोनों कान

4. आवास के सबूत के तौर पर आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं:-

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के विवरण

मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मोहर)

प्रतिहस्ताक्षर

(यदि किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है तो सरकारी अस्पताल के सी एम ओ / मेडिकल सुप्रीडेंटेण्ड / प्रमुख के मोहर सहित प्रति हस्ताक्षर)

संबन्धित व्यक्ति जिसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है उसके हस्ताक्षर / अंगूठा नमूना

अनुलग्नक VIII

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं है, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले और लेखन में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र |

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती .... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/ पुत्री ...., निवासी .... (ग्राम/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), आयु .... वर्ष , ... (दिव्यांगता /स्थिति की प्रकृति) वाला व्यक्ति की जांच की है और यह बताना चाहते हैं कि उसकी कुछ सीमाएं हैं जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती हैं। परीक्षा लिखने के लिए उसे लेखक के सहयोग की आवश्यकता होती है।

2. उपरोक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए) का उपयोग करता है जो लेखक की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और _________ तक वैध है (यह चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक /विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यवसाय चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य अधिकारी.......अध्यक्ष जिला चिकित्सा				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम
स्थान:
दिनांक:

<u>अनुलग्नक-IX</u>

<u>आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं है, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में दिक्कत वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र |</u>

मैं __________________ , __________________(दिव्यांगता /स्थिति की प्रकृति) वाला एक अभ्यर्थी,_____________________रोल नंबर, _____________________ (परीक्षा का नाम) में, __________________ (केंद्र का नाम संख्या), __________________ (जिला) , __________________ (राज्य का नाम) मे उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता __________________ है।

2. मैं एतद्द्वारा कहता हूं कि _________________________ (लेखक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी को लेखक की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी योग्यता ___________________ है। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से परे है। मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।
नोट: निर्धारित प्रोफार्मा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक: